राजस्थान विधान सभा सचिवालय, जयपुर

‘जवाब देयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की ओर एक कदम’ विषयक सेमिनार

दिनांक 09 अक्टूबर, 2007

स्थानः राजस्थान विधान सभा भवन स्थित ‘विधायक-कक्ष’

Vps-akt-09.10.2007-11.15-1b

‘जवाब देयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की ओर एक कदम’ विषय पर आयोजित सेमिनार दिनांक 09 अक्टूबर, 2007 को श्रीमती सुमित्रा सिंह, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षता में राजस्थान विधान सभा भवन स्थित ‘विधायक कक्ष’ में प्रातः 11.20 बजे प्रारम्भ हुई।

उद्घघोषक (श्री सुरेश चन्द जैन, सम्पादक वाद-विवाद): ‘जवाब देयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की ओर एक कदम’ विषयक सेमिनार महालेखाकार, राजस्थान एवं राजस्थान विधान सभा की जन लेखा समिति एवं राजकीय उपक्रम समिति के संयुक्त तत्वावधान में आज आयोजित की जा रही है। आज के उद्घाटनकर्ता और सम्माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्य मंत्री महोदया पधार चुकी हैं। सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन करूंगा कि आपको पुष्प-गुच्छ भेंट कर स्वागत करें।

(माननीय अध्यक्ष महोदया-श्रीमती सुमित्रा सिंह द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

माननीय नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करूंगा की कृपया माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा माननीय नेता प्रतिपक्ष- श्री रामनारायण चौधरी को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

जन लेखा समिति के सभापति डा. सी.पी.जोशी साहब से भी निवेदन करूंगा कि कृपया, आपको पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(सभापति, जन लेखा समिति- माननीय डा. सी.पी.जोशी द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

राजकीय उपक्रम समिति के सभापति माननीय श्री शांतिलाल चपलोत साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(सभापति, राजकीय उपक्रम समिति- माननीय श्री शांतिलाल चपलोत द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

प्राक्कलन समिति-'क' के सभापति माननीय श्री कालीचरण सर्राफ साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(सभापति, प्राक्कलन समिति 'क' - माननीय श्री कालीचरण सर्राफ द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

प्राक्कलन समिति-'ख' की ओर से वरिष्ठ सदस्य माननीय श्री हरिमोहनजी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा की माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(माननीय सदस्य, प्राक्कलन समिति-'ख'- श्री हरिमोहन शर्मा द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।)

और अब मैं चीफ ए.जी. साहब- श्री संजीव सलूजा से निवेदन करूंगा कि कृपया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पुष्प-गुच्छ भेंट करें।

(प्रधान महालेखाकार- श्री संजीव सलूजा द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदया-श्रीमती वसुन्धरा राजे को पुष्प-गुच्छ भेंट किया गया।

msr/akt/1130/1c/09102007/सेमिनार

उद्घोषक: स्वागत की इस महान भारतीय परम्परा के पश्चात् सर्वप्रथम मैं स्वागत भाषण और आज की इस सेमिनार के विषय में कुछ बताने के लिए श्री संजीव सलूजा जी से निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर पधारें।

श्री संजीव सलूजा (प्रधान महालेखाकार): Hon'ble Speaker, Rajasthan Vidhan Sabha, Hon'ble Chief Minister of Rajasthan, Hon'ble Leader of the Opposition, Hon'ble Chairmen of PAC, COPU, Estimates Committees' hon'ble members of the Assembly, senior officers, ladies and gentlemen. A very good morning to all of you.

It gives me immense pleasure as a representative of Comptroller & Auditor General of India to welcome you all to this seminar on 'Strengthening Public Accountability – A step towards Good Governance".

The theme of the seminar is of immense topical relevance for our parliamentary democracy which functions through an institutional system of checks and balances providing good governance for the citizens. The Legislature allocates money to

the Executive to implement the policies for the welfare of the masses. As the money allotted belongs to the taxpayers and the citizens of the State, the Legislature ensures that the moneys so voted were spent for the intended purpose prudently and economically. One of the important institutions that assist the Legislature in this endeavour is the Comptroller & Auditor General of India, the supreme audit institution established under the Constitution. CAG, through its functionaries in Indian Audit & Accounts Department (IA&AD) examines the annual accounts of the Government to satisfy that the expenditure has been incurred for the purpose for which it was allotted and in accordance with laws, rules and regulations. The CAG also points out cases of waste and inefficiency, irregularity etc. through his reports. Besides these the Indian Audit & Accounts Department also compiles the Finance & Appropriation accounts for the State Government that are important tools for financial management. CAG acts as a friend, philosopher and guide to the Legislature through the financial committees, namely PAC and COPU.

These Committees examine cases involving loss, nugatory expenditure and other financial and systemic irregularities brought out in audit reports. The performance of both these Committees in our State has been commendable. So far 189 meetings of the Committees comprising 105 of PAC and 84 of COPU of the 12th Vidhan Sabha have been held and 289 reports have been finalized. The Committees have not limited their scope to questioning the isolated cases of monetary losses but have also gone into the bigger question of system failures and have suggested practical remedial measures. The Committees have also discussed issues related to the overall financial management and budgeting in the system and have offered concrete advice for the Executive in this regard.

The agenda for the seminar includes many relevant and important topics, the most important being the issue of placement of CAG's Report on Accounts of Local Bodies of Rajasthan before the Legislature. In pursuance of recommendations of Eleventh Finance Commission, an Audit Report on Accounts of the Local Bodies (both urban and rural) for 2004-05 was prepared and submitted to His Excellency the Governor of Rajasthan in September, 2006 under Article 151(2) of the Constitution of India. The said report is to be laid before the Legislature. I hope, we will come out with an amicable solution on this pending issue in this seminar.

The second issue, which I must say, is of immense significance to all of us today in Government is relation between Government and private sector. While the instances of private-public partnership are on the rise, there are many issues that have

also cropped up in the process. The widespread feeling is that the present system of selection of the private agency or NGO for funding lacks transparency, plus there is lack of uniformity in the procedures/guidelines adopted by various departments. Therefore, it is appropriate that the issues involved in this partnership are discussed and debated with a view to arriving at a harmonious set of principles to govern this partnership. I would also like the State Government to resolve the pending issue of entrustment of audit of Jaipur Development Authority to C&AG.

Another area I would like the hon'ble participants to touch upon is the system of budgeting and financial management. We have been pointing out the instances of unrealistic budgeting through the Annual Appropriation Account and Audit Reports. There have been cases of substantial savings under the budget estimates during the last few years. In some cases, the departments have obtained grant through the supplementary demand, which were mostly or entirely surrendered at the end of financial year thus indicating their non-requirement. These instances when reduced/removed will strengthen the financial management in the State.

At the end, I would like to express my sincere gratitude to Hon'ble Speaker, Rajasthan Vidhan Sabha, Hon'ble Chairmen, PAC & COPU and members of the Committees for their initiative in organizing this seminar. I am sure this interaction will be helpful in improving accountability structure in the State and contribute towards the efforts of delivering good governance.

Namaskar.

उद्घोषक: और अब मैं जनलेखा समिति के चेयरमैन डा. सी.पी. जोशी साहब को बुला रहा हूं स्वागत करने और इस सारी सेमिनार की आवश्यकता को प्रजेण्ट करने के लिए।

डा. सी. पी. जोशी (सभापति, जनलेखा समिति): सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया, विधान सभा की अध्यक्षा जी, प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय चौधरी साहब, पी.यू.सी. के सम्माननीय चेयरमैन चपलोत साहब, सी.ए.जी. के मुख्य सी.ए.जी. संजीव सलूजा जी, उपस्थित मेरे विधायक साथीगण, ब्युरोक्रेट्स के जितने साथी पधारे। सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष महोदया का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि अध्यक्ष महोदया के प्रेरणा से सी.ए.जी. की यह तीसरी मीटिंग तीसरे स्टेट में हो रही है, एक मीटिंग बिहार में हुई, एक गुजरात में हुई और तीसरी मीटिंग राजस्थान में हो रही है।

मैंने यह प्रिविलेज इसलिए लिया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी की दोहरी जिम्मेदारी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ वित्त मंत्रीजी भी माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं। वह मुद्दे जिन पर हम चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, मैं माननीय मुख्य

मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि जवाब देयता हमें बढ़ानी है तो जो हमारी जिम्मेदारी है जनप्रतिनिधि की उस पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है और जो ब्युरोक्रेसी है उनके ऊपर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था एक संविधान ने की है उस संवैधानिक व्यवस्था में चैक और बैलेंस में विधान सभा बजट पास करती है और बजट पास करने के बाद नियम और कानून के अन्तर्गत पैसे का जो एक्सपेंडीचर हो रहा है उसको स्क्रूटनी करने का काम सी.ए.जी. और सी.ए.जी. जो आब्जैक्शन रेज करती है उसको डिस्कस करने का काम पी.ए.सी., पी.यू.सी. और एस्टीमेट कमेटी के अन्तर्गत आता है।

पिछले लम्बे समय का अनुभव यह बताता है कि जैसे-जैसे चैक और बैलेंस में कमजोरी हुई वैसे-वैसे जो एकाउंटेबिलिटी है उसमें भी समस्या खड़ी हो गयी। आज हमने देखा कि लम्बे समय के बाद जो सी.ए.जी. की रिपोर्ट सब्मिट होनी चाहिए, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का और अध्यक्षाजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान में लम्बे समय से सी.ए.जी. की रिपोर्ट समय पर सब्मिट करने की परम्परा नहीं रही लेकिन हमने यह इश्यू उठाया और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने और अध्यक्षाजी ने इस बात को स्वीकृति दी कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो डिजायर की जाती है कि प्रति वर्ष सदन में रखी जाए, अभी हालांकि हमने पार्शली उसमें एक स्टैप प्राप्त की है कि प्रति वर्ष की तो नहीं रखी जाती है पर पूर्व में चार-पाँच साल की सी.ए.जी. की रिपोर्ट भी असेम्बली में डिस्कस नहीं होती थी लेकिन माननीय अध्यक्षाजी की प्रेरणा से अब सी.ए.जी. की रिपोर्ट विधान सभा में एक साल के गैप के आस पास की आ जाती है वाहे वो सिविल की हो, वाहे कामर्शियल की हो, वाहे रेवेन्यु की हो।

रेवेन्यु का सीधा सम्बन्ध जनलेखा समिति से है और आज हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि पिछले एक-दो साल में जनलेखा समिति ने जिस तरह का कार्य किया है वो इस बात का द्योतक है कि यदि हम अकाउंट्स के सम्बन्ध में कमेटी इफैक्टिव हो तो उसका लाभ निश्चित तौर पर राज्य सरकार को भी मिलता है और जनता को भी मिलता है।

हमने देखा है कि पिछले लम्बे समय से यदि टैक्सेशन जितना हम इम्पोज कर रहे हैं जनता पर उसका सम्बन्ध हम लगाएं कि हमारा एरियर कितना है तो एक बड़ी अजीब तरह की पिक्चर इमर्ज हो कर आ रही है कि जैसे-जैसे प्रति वर्ष टैक्सेशन की हमने नयी-नयी विद्याएं अपनायीं वेसे-वैसे रेवेन्यु रियलाइजेशन करने का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और लगभग आज के दिन यदि आंकड़ा मैं ठीक ढंग से प्रस्तुत कर सकूं तो हमारा जो एनुअल लोन है पाँच हजार करोड़ रुपये का उससे लगभग ढाई हजार करोड़ रुपये हमारा रेवेन्यु रियलाइजेशन का अमाउंट

आउट स्टेंडिंग है। यदि आउट स्टेंडिंग है तो यह इस बात का द्योतक है कि हमने जो नियम और कानून बनाये हैं उन नियम और कानून की पालना ठीक ढंग से हो रही है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पी.यू.सी. और एस्टीमेट कमेटी अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से करे तो यह ढाई हजार करोड़ का जो एरियर है इसको यदि हम रिड्यूज कर सकें तो टैक्सेशन लगाने की हमारी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं बढ़ पायेंगी। क्योंकि आज टैक्सेशन के सम्बन्ध में जिस तरह की पालिटिकल कम्पलशन है उसमें बहुत ज्यादा एल्बो नहीं है कि हम टैक्सेशन को इम्पोज कर सकें। यदि कोई सरकार दो साल तक रेवेन्यु रियलाइजेशन के पार्ट को भी ठीक कर सके तो मैं समझता हूं कि जनता को बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। हां, यह बात सही है कि रेवेन्यु रियलाइजेशन में बहुत बड़ा एक कारण जूडीशियरी में पेंडेंसी ज्यादा बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर यदि हम इस चीज को इफैक्टिव ढंग से लागू करना चाहते हैं, जूडीशियरी में केसेज को परश्यू करने के सम्बन्ध में भी सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे हम इन पेंडेंसी के केसेज को निकाल सकें और राजस्थान की रेवेन्यु हम बढ़ा सकें।

इसके साथ जो दूसरा मुद्दा है, जिस पर हमें खास तौर से चर्चा करने की आवश्यकता है, सर्विस रूल में जो नियम और कानून बनाये हुए हैं और सी.ए.जी. की जो व्यवस्था है उसके बीच में स्थिति यह बनी हुई है कि जब पब्लिक एकाउंट्स कमेटी में या पब्लिक एस्टीमेट कमेटी में या पब्लिक अण्डरटेकिंग कमेटी में सी.ए.जी. की रिपोर्ट डिस्कस नहीं होती है तब तक सरकारी अधिकारी जो उसके लिए रेस्पोंसेबल होता है नियम और कानून के उल्लंघन करने वाला उसके खिलाफ कार्यवाही करने में जो एक नियम बना हुआ है कि तीन साल की उसकी सर्विस के अन्दर-अन्दर आप कुछ कर सकें तो ठीक अन्यथा आपको गवर्नर से परमिशन लेकर यह काम करना पड़ेगा। उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, even if he is responsible for negligence and number of such other things, duly pointed out by the C&AG, duly scrutinized by the Committee but by and large, I don’t know, if I recollect correctly, अभी राजस्थान के 50 साल के इतिहास में हमने किसी भी सरकारी अधिकारी को उसकी जिम्मेदारी के कारण एक्शन नहीं ले पाये हैं तो मैं चाहूंगा कि यह एक आवश्यक तो हमारी आवश्यकता है उसमें एक परविर्तन करने की आवश्यकता है कि सी.ए.जी. की रिपोट सब्मिट जो गवर्नर को होती है उस सी.ए.जी. की सब्मिशन और गवर्नमेंट के बीच में कंसीडरेशन और असेम्बलि में ले करने के बीच में जो गैप है उस गैप को रिड्यूज करने की आवश्यकता है और यदि यह संभव हो तो सी.ए.जी. की रिपोर्ट जो गवर्नर को सब्मिट कर रहे हैं उसमें टाइम फ्रेम डाल दिया जाए कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट के एक महीने बाद राज्य सरकार उसको डिस्कस कर लेगी और डिस्कस करने के बाद डीम्ड टु बी,

क्योंकि असेम्बलि का सैशन हो या नहीं हो, डीम्ड टु बी यह मान लिया जाए कि वो ले की गयी है हाउस के अन्दर और डिपार्टमेंट जो उसके लिए रेस्पोंसेबल है उनके ऊपर यह ओनस डाल दिया जाए कि the moment you receive the CAG report, duly approved by the State Government, the Department Secretary will have to take initiatived. अनफोर्चुनेटली सी.ए.जी. की रिपोर्ट ले होने के बाद, असेम्बलि में ले होने के बाद जब पी.ए.सी. और पी.यू.सी. में जो डिस्कस कर रहे हैं उसके बीच में तीन से चार साल का गैप है, सो मच सो कि आज यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी की सरकार है, जिस पार्टी की रिप्रजेण्ट कर रहे हैं, और पी.ए.सी., पी.यू.सी. डिस्कस कर रही है पिछली सरकार की जो अनोमोलीज हैं, जिसमें कमी और खामी है उसको डिस्कस कर रहे हैं तो जो एक इम्पैक्ट और थ्रस्ट होना चाहिए गवर्नेन्स का वो कम हो जाता है और पिछली सरकार की जो कमी और खामी है उसको हम डिस्कस कर के पी.यू.सी. और पी.ए.सी. में जो एक एकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए वह हम नहीं कर पाते हैं।

Ars/akt 1145 1d 09102007

निश्चित तौर पर इस सम्बन्ध में भी आज आवश्कता हो गई है कि हम चर्चा करके राजस्थान सरकार आकर इनीशियेटिव लेवे और एक फैसला करे that the moment CAG report is received by the State Government, within the stipulated time (maximum one month) the Department Secretary will have to take initiative, if these points are duly approved by the CAG. मैं इसमें सहमत हूं कि सी ए जी के वर्शन में और डिपार्टमैंट के वर्शन में अन्तर है। यह लेम एक्सक्यूज है बिकोज सी ए जी का ड्राफ्ट पैरा बनने की जो प्रक्रिया है उसमें आपको पहले पूरा अवसर देते हैं विभाग को। उसके बाद आपके विभाग के अधिकारियों के साथ सी ए जी के आफिसर बैठकर डिस्कस करते हैं, उसके बाद सी ए जी का पैरा बनता है। तो डेलीबरेट एक पूरा टाइम विभाग के अधिकारियों को अपने नियम और कानून की जो उन्होंने पालना की उसको जस्टिफाई करने का अवसर मिलता है। उस अवसर को अवेल नहीं करके जब सी ए जी की रिपोर्ट पर कोई पैरा आ जाता है उसका डिस्पोजल करने में यदि हम व्यवस्था देखें, मेरा ऑन एक्सपीरियंस कहता है कि सी ए जी रिपोर्ट यदि 2007 में ले हो रही है तो पैरा होगा 1997 का, 1997 के बाद 2007 के दस साल बाद 2017 में किसी अधिकारी को हम आइडेन्टिफाई करेंगे कि यह अधिकारी 1997 के सम्बन्ध में किसी नियम और कानून की अवहेलना करने के लिए रेस्पांसिबल है तो फिर कांस्टीट्यूशन में हमने एक कांसेप्ट किया कि चैक और बैलेंस का कंसेप्ट है वह इर्रेलेवेंट होजाता है। इफेक्टिवली चैक और बैलेंस थ्योरिटिकली अच्छा लगता है लेकिन प्रैक्टिस के

अन्तर्गत चैक और बैलेंस में व्यवस्था में बहुत ही गड़बड़ी हो गयी है। उसको भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है।

एक सबसे बड़ी इम्पार्टेंट चीज यह है असेम्बिल के अन्दर हम बजट रखते हैं, बजट रखने के बाद हमारा डिपार्टमैंट सप्लीमैंट्री ग्रांट में जाता है। सप्लीमैंट्री ग्रांट में जाने के बाद there are number of departments जो सक्सैसिव ईयर में एक्सेस में एक्सपैण्डिचर कर रहे हैं, जब आपके डिपार्टमैंट ने पूरा टाइम लगाकर अपना बजट बनाया है, बजट बनाने के बाद सप्लीमैंट्री डिमांड में आप असेस कर सकते हैं कि उसमें इतने पैसे की कमी है, ज्यादा उसमें ले सकते हैं और सप्लीमैंट्री ग्रांट में पैसा लेने के लिए लास्ट डे को सप्लीमैंट्री ग्रांट के एप्रूव होने के बाद लास्ट डे 31 मार्च जो अमाउंट सरेन्डर हो रहा है वह वैरी इन्ट्रेस्टिंग है, to the best possible knowledge of mine, 2006-07 का यदि आंकड़ा ठीक ढंग से लें तो यह फिगर पहुंच गया है 31 मार्च, 2007 को यदि हम आधार मानें 2 हजार 600 करोड़ से ज्यादा अमाउन्ट सरेण्डर हो रहा है 31 मार्च को।

इसका मतलब बजट के अन्दर जो हम कैपीटल इन्वेस्टमैंट की बात कर रहे हैं, कैपीटल इन्वेस्टमैंट में हम विधान सभा में कहते हैं कि फिजिकल असैट को डवलप कर रहे हैं और जो इफेक्टिव चीज हो रही है कि 31 मार्च में वह रिफलक्शन करता है। इधर तो हमने प्रोवीजन कर दिया और प्रोवीजन करने के बाद 31 मार्च को सरेण्डर कर रहे हैं उस अमाउण्ट को। कुछ विभाग तो सप्लीमैंट्री ग्रांट लेने के बाद भी उसमें सरेन्डर कर रहे हैं। इसका मतलब जो डिपार्टमैंट के ब्यूरोक्रेट्स हैं वह न तो जो उनकी मेन डिमांड बन रही है उसको ठीक ढंग से असेस कर पा रहे हैं, न सप्लीमैंट्री को ठीक ढंग से असेस कर पा रहे हैं और लगातार किसी डिपार्टमैंट के अन्दर एक्सेस जा रहा है तो यह निश्चित तौर पर जो हमारी संवैधानिक बाध्यता है उसकी एक अवहेलना है। निश्चित तौर पर इसमें भी मानीटरिंग करने की आवश्यकता है कि कैसे हम उन विभाग के अधिकारियों को सचेत करें कि मेन डिमांड और सप्लीमैंट्री की डिमांड के बाद यदि वहां पर सरेन्डर अमाउंट हो रहा है तो it should be part of the ACR of the bureaucrat. यह नहीं हो सकता कि विभाग में अधिकारी प्रमोशन भी ले लें और जो उसकी मेन जिम्मेदारी बनी है उस जिम्मेदारी से वंचित हो जाएं। यह भी एक मुद्दा है जिस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता है।

मुझे मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना है। मैं दो तीन मुद्दे उठाना चाहता हूं। आज 73 और 74 वें अमेंडमैंट के बाद पंचायती राज और लोकल सैल्फ गवर्नमैंट को एक संवैधानिक व्यवस्था दे दी गयी है। इलेवंथ फाइनैंस कमीशन ने भी रिकमण्डेशन किया है कि सी ए जी का परव्यू लोकल सैल्फ गवर्नमैंट, पंचायती राज और लोकल सैल्फ गवर्नमैंट में नहीं आना चाहिए। इस

रिकमण्डेशन के बाद भी राजस्थान सरकार ने पिछली बार सी ए जी ने एक रिपोर्ट सब्मिट कर दी पर अभी तक सरकार उस बारे में कोई चर्चा न करके विधान सभा में नहीं लाए। लेकिन प्रिंसिपली फैसला करना पड़ेगा कि जो डिवोल्यूशन आफ फाइनेंशियल पावर हो रही है उसमें पी आर आईज, जब यह एन आर ई जी पी की स्कीम लागू होने के बाद एक पंचायती राज में करोड़ों रुपये मिलते हैं जब यह ज्यादा आवश्यकता बन जाती है कि हम लोकल सैल्फ गवर्नमैंट और पी आर आईज को भी सी ए जी के परव्यू में लाएं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरह एक नई कमेटी बनाएं जो एक्सक्लूसिवली यह लोकल सैल्फ गवर्नमैंट और पी आर आईज के सी ए जी के आब्जक्शंस को मीट आउट करने के बाद डिस्कस करे। बहुत बड़े अमाउंट का पिलफ्रेज है वह आज के दिन पी आर आईज और लोकल सैल्फ गवर्नमैंट में है। इस पर भी हमें चर्चा करके निर्णय करने की आवश्यकता है।

मैं समझता हूं जैसे जैसे डेलीबरेशन होगा, दूसरे स्टेट्स में भी इस बात को मान लिया गया है, इलेवंथ फाइनैंस कमीशन की रिकमन्डेशन भी है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि राजस्थान इसमें लीड ले और लोगों के बीच में बताए कि राजस्थान वह स्टेट है जहां पंचायती राज की स्थापना की गयी, वही स्टेट है जहां पी आर आई और लोकल सैल्फ गवर्नमैंट को सी ए जी के परव्यू में लायेंगे। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में जो अकाउन्टेबिलिटी है उसको हम ज्यादा अच्छे ढंग से कर सकेंगे। गुड गवर्नेंस एंड डीलिवरी, जो लास्ट में हम करना चाहते हैं उसमें पी आर आई की अहम भूमिका है। पी आर आई को यदि हम इस परव्यू में लेकर आयेंगे तो इसका निश्चित तौर पर जो प्रभाव है वह लम्बे समय तक पड़ेगा। इस पर भी हमें चर्चा करने की आवश्यकता है।

जे डी ए एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने आप में खड़ा हो गया है। जे डी ए के सम्बन्ध में भी सी ए जी के परव्यू में लाया जाना चाहिए जिससे इसकी इफेक्टिवटी बढ़ सके। मैं समझता हूं कि एक नया कंसेप्ट जो हमारे देश में आ गया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें जिस तरह की व्यवस्था की जा रही है उसमें हम इक्विटी में अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं। स्टेट भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है और करने के बाद हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किसी कम्पनी बनाकर उसमें इन्वेस्टमैंट करते हैं। राजस्थान सरकार ने इनीशियेटिव लिया, रोड सैक्टर में हमने 1500 करोड़ का हमने पब्लिक प्राइवेट सैक्टर में इनीशियेट किये हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में पब्लिक प्राइवेट सैक्टर का इन्वेस्टमैंट बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई फास्ट डवलपमैंट का स्कोप भी नहीं है। लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की यह कम्पनियां सी ए जी के परव्यू में नहीं आएं तो मैं समझता हूं यह भी एक अकाउन्टेबिलिटी जो हम

समझते हैं उस अकाउन्टेबिलिटी को अवे करने का एक तरीका होगा और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में जो लैजिस्लेचर का बिजनस है उसके फंक्शन को हम लिमिटेशन कर देंगे और लिमिटेशन के बाद वह कमजोर होगी। मैं समझता हूं इन मुद्दों के सम्बन्ध में चर्चा करने का अवसर आ गया है।

मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया। माननीय मुख्य मंत्री जी वित्त मंत्री भी हैं इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वित्त मंत्री के रूप में ऐसी कुछ नयी पहल करेंगे जिस पहल से हम जनता के सामने अकाउन्टेबल बन सकें अन्यथा जनता का जो विश्वास है, यदि पैसे का जूडिशियस उपयोग नहीं हो पाया तो निश्चित तौर पर हम जनता के प्रति जो न्याय है वह नहीं कर पायेंगे।

अन्त में मुझे एक बात और कहनी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो मेन डिपार्टमैंट है पेरेंट डिपार्टमैंट वह डी ओ पी डिपार्टमैंट है, इसकी बड़ी लम्बी प्रक्रिया है, डी ओ पी डिपार्टमैंट में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट किसी को आइडेन्टिफाई करे, अकाउंट्स कमेटी और जितनी भी वित्तीय कमेटियां हैं उसकी नोडल आफिसर प्रिंसिपल सैक्रेट्री फाइनैंस हैं। प्रिंसिपल सैक्रेटरी फाइनैंस का रिलेशनशिप जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमैंट हैं उसके बीच में इतना ज्यादा गैप हो जाता है, वह रिकमंड करें, पी ए सी रिकमंड करे उसके बाद डी ओ पी उस पर एक्शन लेगी तो निश्चित तौर पर एक को रिलेशन बनना चाहिए कि डी ओ पी का जो परव्यू है यदि अकाउन्ट्स कमेटी ने कोई रिकमंडेशन की है आफ्टर थोरो एक्जामिनेशन तो निश्चित तौर पर उसकी रिकमंडेशन के आधार पर डी ओ पी डिपार्टमैंट को कार्यवाही करनी चाहिए अन्यथा रिकमंडेशन के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट फिर असेम्बलि में जाती है। तो वर्चुली सी ए जी का पैरा बनना, सी ए जी का पैरा बनने के बाद असेम्बलि में रिपोर्ट ले करना, रिपोर्ट ले करने के बाद असेम्बलि में डिस्कस करना, डिस्कस करने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट बनना और एक्शन टेकन रिपोर्ट को फिर असेम्बलि में ले करना, यह जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में हम जो अकाउन्टेबिलिटी और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं वह बात नहीं हो पाती है।

मैं अन्त में यह बात कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में आने वाले समय में good governance and credibility of the individual and credibility of the party, these are going to be two cardinal principles of democracy. इसलिए हम राजस्थान में क्रेडिटिबिलिटी को एस्टेब्लिश करें। चाहे हम जन प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहें हम पालीटिकल पार्टीज के फंक्शनरीज के रूप में हों, यदि हमें सत्ता में काम करने का अवसर मिले तो गुड गर्वनैंस को कैसे हम इफेक्टिव ढंग से लागू कर सकें, उसमें क्रेडिटिबिलिटी बनाने में सबसे इम्पार्टेंट रोल ब्यूरोक्रेसी और जितनी भी फाइनैंस कमेटीज हैं उनका है। मैं आशा

करता हूं कि राजस्थान की परम्परा में हम इन चीजों को और आगे बढ़ायेंगे जिससे जनता को हमारे जो फंक्शन हैं उसको हम ठीक ढंग से कर सकें क्योंकि अल्टीमेटली अकाउन्टेबिलिटी लेजिस्लैचर की है, लैजिस्लेचर की अकाउन्टेबिलिटी असेम्बलि की है, तो जनता के प्रति हम सब जो विधान सभा के सदस्य हैं वह जवाबदेह हैं और हमारा जवाबदेह है ब्यूरोक्रेसी और यदि उसके ऊपर हम इफेक्टिव ढंग से मानीटरिंग नहीं कर सकते हैं तो डेमोक्रेसी कमजोर होती है, इस चीज को चर्चा करने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है कि जो इनीशियेटिव सी ए जी डिपार्टमैंट की रिकमंडेशन से राजस्थानकी अध्यक्षा जी ने लिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें भाग लेकर इसको आगे बढ़ाया है, यह आने वाले समय में माइल स्टोन बनेगा और हम इसमें परिवर्तन करके लोगों को यह विश्वास दिला सकेंगे कि राजस्थान में लोकतंत्र की परम्पराओं को सुदृढ़ करने के लिए जो नये नये चैलेंजेज आ रहे हैं चाहे वह पी आर आईज के आएं, चाहे वह लोकल सैल्फ गवर्नमैंट के हों, चाहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हों, उन सबमें भी इन वित्तीय कमेटियों के सम्बन्ध में यदि नये सिरे से चर्चा करके हम कुछ कर सकें तो हम सबकी अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन हो सकेगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी के अलग अलग विभाग के अधिकारी आये हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे विधायक साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन परम्पराओं को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद।

उद्घघोषक (श्री सुरेश चन्द जैन,सम्पादक, वाद- विवाद): आज की सेमिनार के उद्देश्यों की ओर आपने ध्यान आकर्षित किया और अब वह क्षण आ गया है जब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रही हूं कि कृपया इस सेमिनार का विधिवत उद्घाटन करते हुए दिशा निर्देश देने की कृपा करें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्यमंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की सुमित्रा सिंह जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, चेयरमैन साहब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी श्री जोशी जी व चेयरमैन साहब राजकीय उपक्रम समिति के श्री चपलोत साहब, चेयरमैन प्राक्कलन समिति –ए श्री कालीचरण जी, श्री राजेन्द्र सिंह जी राठौड़, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग के और श्री संजीव जी सलूजा प्रिंसिपल सैक्रेटरी सी ए जी और विधायक गण, सब मैम्बर्स आफ दी एडमिनिस्ट्रेटिव, आज के इस कार्यक्रम में जोशी जी ने मेरे को यह कहा कि आप टाइम निकालकर यहां आयी हैं, मैं समझती हूं बहुत ही इम्पार्टेंट कड़ी है और मैं बधाई देना चाहती हूं अध्यक्ष महोदय को जिन्होंने बहुत ही सही समय पर ऐसा कदम उठाया। लोगों के जेहन में और ध्यान में एक इम्पार्टेंट बात लाने की

कोशिश की, उसके लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहूंगी। अकाउन्टेबिलिटी गुड गर्वनैंस, इस बारे में बहुत कुछ सुनने को आया है, जहां जाते हैं पालीटिकली बहुत अच्छी बात होती है इसलिए यह शब्द भी बहुत अच्छे हैं इसलिए अकाउन्टेबिलिटी और गुड गवर्नैंस की बात लगातार सब लोग करते रहते हैं। अख़बार में भी लिखा जाता है, टेलीविजन पर भी सुनने को मिलता है और आज इस सेमिनार के द्वारा आप उन मुद्दों के ऊपर पहुंचने की कोशिश करना चाहते हो जो जनरल आदमी के जीवन के ऊपर एक असर छोड़ता है।

कई चीजें जोशी जी ने अपने भाषण में मेरे सामने कहीं तो मैं समझती हूं कि ऐसे टाइम पर यह सही भी था कि जहां जहां इश्युज आए जिसके ऊपर कुछ डिस्कशन हो सब लोगों के बीच में और यह भी बात उन्होंने सही की, रिपोर्ट्स आती हैं वह डिस्कस होती हैं, अगर इतनी पुरानी रिपोर्ट हैं तो मकसद ही खतम हो जाता है, यह भी बात सही है। इसीलिए हम लोगों ने यह कोशिश की है कि यह रिपोर्ट्स जहां तक हो सके उस कम गैप में हम उसको हाउस के अन्दर पेश करें ताकि जल्दी से जल्दी इस पर डिस्कशन हो जाए। मैं मानती हूं कि इस गैप को और भी कम करने की अपने को जरुरत है और यह बात सही कह रहे हैं कि अगर हम आज की सरकार या आज की कमेटी पिछली सरकार की बातें डिस्कस करें तो सभी के लिए बहुत आराम है क्योंकि डिस्कशन एक जनरेशन को स्किप करके ही होगा और अगर सब लोग इसमें कम्फर्टेबल हैं तो फिर आगे चलकर अपने को किसी को प्राब्लम होगी ही नहीं। तो मैं समझती हूं कि अगर डिस्कस करना है तो मकसद ही तब है जब इसी हाउस के अन्दर वह डिस्कस हो।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ आउटस्टैण्डिंग्स का मामला है दो हजार, पांचसौ करोड़ रुपये की बात उन्होंने सबके सामने रखी है। यहां मैं सबको यह ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यह एक क्युम्युलिटिव फिगर है reached over a period of more than 20 years. यह एक दिन, एक साल, चार साल, छह साल के अन्दर नहीं है, it is a period of over 20 years and I agree, जुड़ते जुड़ते वहां तक पहुंच गया है। साथ में यह भी मानूंगी मैं कि कोर्ट में स्टे जो आ जाते हैं और कोर्ट की जो बात है उससे हम लोगों को प्राब्लम है और कौन नहीं मानता कि रिकवरी बैटर होनी चाहिए। इसमें मैं तो समझती हूं कि कोई संदेह नहीं है। हम लोग सब चाहेंगे कोई भी सरकार हो सब सरकारें यहीं चाहेंगी कि किसी भी तरह से रिकवरीज इम्प्रूव हों क्योंकि आज कल रेवेन्यू का दायरा जो है वह काफी कम हो चुका है, पापुलेशन बहुत बढ़ चुका है। यह जो फायदा लोगों को देना है, एक बहुत बड़ा स्पैड है।

मैं समझती हूं कि इसके लिए अगर इन चीजों के ऊपर अपन ध्यान दें और सही तरीके से रिकवरी हो जाए हमारा बहुत कुछ संकट निपट सकता है।

इसके साथ-साथ अधिकारियों के विरुद्ध आप लोगों के कार्यवाही के सवाल किये हैं। मैं समझती हूं कि समय पर रिपोर्ट ही नहीं आयेगी तो हम लोग क्या कार्यवाही करेंगे उस पर। अगर पी.ए.सी. की रिकमंडेशन सही समय पर नहीं आयेगी तो स्पेसिफिक अधिकारी के अगेनस्ट कोई जिम्मेदारी से अपन बात करें तब ही तो कार्यवाही हो सकती है और इसीलिए मैं यह कहूंगी कि अगर 1997 की गलती के ऊपर रिकमंडेशन 2007 के अन्दर आए तो it does not make any sense. I do not think. मैं समझती हूं कि निसन्देह जिम्मेदारी अधिकारी जो हैं उसको रिटायरमेंट से पहले-पहले ही अपने को करने की कोशिश करनी चाहिये यह बात सही है।

जहां तक हम लोगों ने अभी तक बात की है, बहुत सारी बातें आयी हैं। मैंने यह भी सोचा कि प्रशासन को जवाबदेह होना यह बहुत जरूरी है और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पहली दफा गुड गवर्नेंस के ऊपर एक सेमीनार भी हम लोगों के अपने ही बीच में रखी। इसमें कलेक्टर, एस.पीज., हमारे मंत्री वह लोग सब बैठे and for the first time हम लोग खाली रिपोर्टिंग की बात करते थे for the first time डिस्कशंस हमने कलेक्टर्स के बीच में की और जो जिला प्रशासन है उनके बीच में की। जानने की यह कोशिश की कि इस डिलेवरी सिस्टम को हम लोग किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। यह सही है कि हमारी इकॉनामिक ग्रोथ तीन, साढ़े तीन प्रतिशत प्रतिवर्ष की जो थी वह बढ़कर छह, आठ, नौ और दस तक पहुंचती जा रही है। यह हमारे लिए एक अच्छा संतोष का विषय तो है परन्तु लाभान्वित किस-किसको हम लोग कर रहे हैं इसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जो इकॉनामिक ग्रोथ है it should be spread out over a larger percentage of the people. यह हम लोग सब मानते हैं और मैं यह मानती हूं कि जो सरप्लेसेज क्रियेटेड हैं these should be passed on to the poorest of the poor. नहीं तो वह तो gap keeps increasingt और हमने अपनी एक कोशिश की है, सरकार के अन्दर हमने यह कोशिश की कि इस गैप को हम लोग छूएं। जैसे using unemployment जैसे using mid-day meal जैसे using education for all जैसे contributing pension scheme जो हम लोगों ने अभी की है। आप अगर दूसरे देशों में देखोगे तो एक बहुत बड़ा सोशल सिक्योरिटी नैट हरके देश ने करने की कोशिश की है और मैं समझती हूं कि एट द सेण्ट्रल लेबल यह बात होती होगी परन्तु अब तो स्टेट लेवल भी हम लोग खाली प्लस माइनस बुक

कीपिंग यह करने की कोशिश नहीं परन्तु एक्चुअली में लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें। यह हमारी कोशिश है There is a gap. मैं मानती हूं and that gap has to be closed by what I call inclusive growth. लास्ट व्यक्ति जो लाइन में खड़ा है उस तक उसको पहुंचाने की हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत है। जब तक हम लोग आम आदमी को मुख्य धारा से नहीं जोड़ते तब तक अपन लोग कुछ भी यहां बैठे-बैठे भाषण दे दें और बात कर लें मैं समझती हूं हमारा काम अधूरा रह जाता है। आज कल के जमाने में जब अपन सरकार की और देखते हैं तो रोल ऑफ गवर्नमेंट आल्सो मैं यह मानती हूं अब छोटा होता जा रहा है। एक जमाना था 20-25 साल पहले जब सरकार ही हर चीज संभालती थी। उसको कहते थे सोशलिस्ट पेटर्न ऑफ गवर्नमेंट। सरकार प्रेस्क्रिप्शन देती थी कि यह प्रेस्क्रिप्शन होगा और वह चाहे आसाम हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो वह प्रेस्क्रिप्शन उस हर प्रदेश के लिए लगाने की कोशिश होती थी। आज कल के जमाने में सरकारें छोटी होती जा रही हैं। मोर दैन एनीथिंग मैं मानती हूं कि वह फैसीलिएटेड बनते जा रहे हैं। गवर्नेंस के अन्दर हम कम्युनिटी, सिटीजंस, एन.जी.ओज. voluntary organizations and general people and elected representatives और भी जो जनता के लोग हैं उन लोगों को जोड़ने की हमारी पूरी कोशिश हो रही है। गवर्नेंस खाली सरकार नहीं करेगी Governance in tune with everybody यह हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कभी-कभी meeting of the minds नहीं होता है और इसीलिए कभी-कभी प्राब्लम्स हो जाती हैं। खाई डवलप हो जाती है। जो अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स हैं वह हम लोग जमीन के ऊपर ला नहीं सकते परन्तु यह डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से हम लोगों को यह भी ध्यान में लाने की कोशिश करनी है कि किसी भी तरीके का अपोजिशन हो oppositions and criticism of the opposition बहुत ही कभी-कभी हमारे लिए यूजफुल रहता है जो कि गवर्नेंस के अन्दर अच्छी बात सुनने की बड़ी अच्छी आदत हो जाती है। जब तक क्रिटिसिज्म नहीं सुनने की आदत है और क्रिटिसिज्म को यूजफुली यूज नहीं किया जाए तो मैं समझती हूं कि आधी बात रह जाती है और इसीलिए आज कल के जमाने में Government remains the facilitator. Government does not do the business any more. Government moves itself out of all that and becomes the support system to ideas that I have given by the public and by the thinking people in the community. मैं आज के डिसेण्ट्रलाइजेशन के समय के अन्दर मानती हूं कि एम्पावरमेंट आफ द सिटीजंस यह बहुत जरूरी है। पहले हम सिटीजंस को एम्पावर करने की बात नहीं करते थे। कभी-कभी सरकारों के लिए यह मुश्किल काम भी है but the good

governance can only start with empowerment of the citizens and I think that it should start right at the beginning.

अब सरकारी विभागों के अन्दर किस तरीके से पारदर्शिता लानी है, ट्रांसपरेंसी लाने की बात अपन सब लोग करते हैं। इंटरनल कन्वोकेशन के अन्दर भी जब अपन टेलीविजन के ऊपर जाते हैं तब भी और मैं मानती हूं कि इस ट्रांसपरेंसी को लाने के लिए राइट टू इन्फोर्मेशन की बात हम लोगों ने बहुत सबने मिलकर की है चाहे अपोजिशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो। सब लोगों ने मिलकर यह तय किया कि it is very important ki right to information ko हम लोग और स्ट्रेंथन करें तो मुझे खुशी है यह कहते हुए कि यह जो सूचना का अधिकार है, अधिनियम है उसको अपन ने लागू कर दिया है। लोक सूचना अधिकारी यह भी नियुक्त हो गये हैं और राज्य सूचना आयोग ने भी अपने काम को चालू कर दिया है। इसके अन्दर मैं मानती हूं कि सबसे जरूरी आज कल के जमाने में आई.टी. का सिस्टम हो गया है। यह जरूरी है कि लोगों को अगर क्लोजली जोड़ने की जरूरत है तो उस आई.टी. को इस्तेमाल करने की पूरी जरूरत होगी और इसीलिए सूचना प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल के प्रयास हम लोग और स्ट्रेंथन करें इसके लिए लोक मित्र योजना हमने राजस्थान के अन्दर यूज किया है जिसके थ्रू आपने शायद उसको आन्ध्र प्रदेश में भी देखा है। हमारे यहां भी है, गुजरात के अन्दर भी है। अलग-अलग स्टेट्स उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बिल्स का पेमेन्ट, इसमें नगर पालिकाओं की देय राशि, इसमें बर्थ एण्ड डैथ प्रमाण पत्र जो होते हैं और कभी-कभी बस के टिकट, एरोप्लेन के टिकट यह यहां तक भी मामला पहुंच गया और जन मित्र योजना भी साथ-साथ सुविधा प्रदान करने के लिए हम लोगों ने चालू करने की कोशिश की है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाया जाए इसमें लैंड रिकार्डस आ जाते हैं और मैं आपको खुशी से यह कहना चाहती हूं कि Excise Department is now completely computerized and CCT before the financial year is out by December. मैं समझती हूं कि उसका भी फर्स्ट वीक आफ दिसम्बर तक फल कम्प्यूटराइजेशन हो जायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ई-फाइलिंग और ई-पेमेण्ट आप आराम से उस पर कर सकोगे। यानि आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह हम लोगों ने कोशिश की है।

इसी तरीके से जगह-जगह पर हम लोगों ने सब लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि शासन हमने अब जनता के बीच में सौंपने की कोशिश की है और सुशासन किस तरीके से लाएं उसको आगे बढ़ाने का काम हम आप लोगों से बात करके ही बढ़ा सकेंगे। सरकार तो अपना काम करेगी ही परन्तु उसके साथ-साथ आपके व्यूज, आपके आइडियाज उनको भी जोड़ने की हम लोगों को कोशिश करने की जरूरत है। डेमोक्रेसी के हर निर्णय के पीछे एक बहुमत का आधार होता

है। जनरल कंसेंसेज तो उस चीज को हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और जैसे मैंने अभी कहा कि सामान्य नागरिक को भी अपने विवेक को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना यह हम लोगों का, हमारा सबका एक दायित्व बन जाता है। आज के दिन हम किसी के ऊपर कोई बात थोप लें और बाद में डिस्कशंस के साथ वह बात निकल कर आए कि हमें वह पसन्द नहीं थी तो पहले क्यों नहीं सोचा उसके बारे में लोगों को मौका भी हम लोगों को देना चाहिये। समझो हमने ओल्ड सिटी को ठीक करने की बात यहां रखी। ट्यूरिज्म के हिसाब से अगर हमने यह सोचा कि हर कण्ट्री के अन्दर ओल्ड सिटीज को हम लोगों ने बिलकुल सुधार करके और सुरक्षित करके रखा है तो लोग बाहर से आते हैं तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ओल्ड सिटी की जब हम बात करते हैं तो उसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और हम लोग बैठकर कोई प्लान बनाएं उसको उनके ऊपर थोपने की कोशिश करें तो काम बनेगा नहीं। अगर मैं कल कह दूं कि वहां वॉक वे बनना चाहिए, अगर मैं कल कह दूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय, डर ग्राउण्ड पार्किंग कर देना चाहिए, अगर मैं कल कह दूं कि उसमें ऐसा इंतजाम होना चाहिये कि दिन के अन्दर कोई ट्रैफिक नहीं चले जो सब लोग उसमें नाराज हो जायेंगे परन्तु जब तक वह बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं कि आज कल के जमाने के अन्दर उसको हम किस तरीके से आगे कर सकते हैं, उसमें किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा ट्यूरिस्ट पैसा आकर लगा सकता है तो मैं समझती हूं हम आगे बढ़ नहीं सकते। यह एक आइडिया है और इसके लिए जनता का आर्डिनरी आदमी जो वहां रहता है, अपना माल बेचता है, अपना काम करता है उसको उसमें लाने की हम लोगों को पूरी जरूरत है। एक गुड गवर्नेंस मेरा मानना है वह एक यात्रा है और डेस्टिनेशन इस यात्रा को हम लोगों ने नये जमाने के अन्दर न्यू डिस्पेंशेसन के अन्दर पिछले कुछ वर्षों के अन्दर शुरू किया है और मैं समझती हूं कि एक कठिन रास्ता है। इस कठिन रास्ते के अन्दर हमारे एग्जीक्यूटिव्ज, हमारे जन-प्रतिनिधि को हमारे पूरे शासन को ईवन मीडिया एण्ड कोर्ट इन लोगों को सबको शरीक होने की जरूरत है। सभी को उतना ही प्रयास करना पड़ेगा जितना प्रयास आप सरकार से चाहते हो या जानते हो कि वह करेगी। अगर हम लोगों को विकसित राष्ट्र और विकसित प्रान्त की अगर बात करनी है तो मैं समझती हूं कि इन लोगों को सबको बिना जोड़े कोई भी सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है और आखिर में मैं इतना ही कहूंगी एक कोटेशन है जिससे मैं अपनी बात का अंत करना चाहूंगी। वह है कोफी अन्नान जो संयुक्त राष्ट्र के भूतपर्वू महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने कहा था “Good governance is perhaps the single most important factor in eradicating poverty and promoting development.” और मैं समझती हूं कि this is absolutely true for that we all have to make our best efforts.

Governments can make whatever they can but it can not do it without the opposition, they can not do it without the elected representatives, it can not do without the ordinary people. So my request is ki मेरा सब लोगों से निवेदन रहेगा कि हम लोग सब इस चीज को बहुत ही सीरियसली लेकर एक नैरो दायरे में नहीं परन्तु एक विस्तार के हिसाब से विस्तारित तरीके से उसको देखने की कोशिश करें और मैं समझती हूं कि हम लोग सब इसको एप्लाई करेंगे और एप्लीकेशन आफ माइंड के साथ इसको देखेंगे तो आगे आने वाले समय में हमारा राजस्थान एटलिस्ट कुछ फर्स्ट आलरेडी आ चुका है और कुछ और फर्स्ट इसके अन्दर आ सकेगा यह मैं विश्वास करती हूं और मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी अध्यक्ष महोदय को जिन्होंने इसको एक मूर्त रूप दिया और हम लोग सबको एक मौका दिया इस बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर एक चर्चा करने का। आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं।

उद्घघोषक (श्री सुरेश चन्द्र जैन, सम्पादक वाद-विवाद): गुड गवर्नेंस एक यात्रा है डेस्टिनेशन नहीं, इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री जी ने इस सेमीनार का आगाज किया और अब मैं सभी अतिथियों को धन्यवाद देने के लिए राजकीय उपक्रम समिति के सभापति माननीय श्री शांतिलाल जी चपलोत साहब को आमंत्रित करता हूं।

श्री शांतिलाल चपलोत (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति): परम आदरणीय विधान सभा की अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंहजी, परम आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी, अपोजिशन के लीडर आदरणीय चौधरी साहब, पी.ए.सी. कमेटी के चेयरमैन सी.पी.जोशी साहब, पार्लियामेंटरी अफेयर मिनिस्टर राठोड़ साहब, सी.ए.जी. से सलूजा साहब, सभी विधायकगण, अधिकारीगण, भाईयों, बहनों और माताओं। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी अध्यक्ष महोदय के इनीशियेटिव पर और मुख्यमंत्री जी के इनीशियेटिव पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा काम धन्यवाद का है पर जिस कमेटी का मैं चेयरमैन हूं मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने कोई 40-50 रिपोर्ट तैयार करके विधान सभा में पेश की हैं।

श्याम/अरूण 9.10.07 12.15 1f

सन 1974 के पहले डिस्कशन किये गये, 1975 के पहले डिस्कशन किये गये after lapse of 30 years यदि हम उसका डिस्कशन करते हैं तो उसका कोई मायने नहीं रखता। जैसे कि श्रीमान् सी.पी. जोशी जी ने कहा है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे ही सीएजी की रिपोर्ट बनती है या सीएजी आडिट करने

के लिए जाते हैं अधिकारी गण, तो उसी समय उनके ध्यान में लाया जाता है कि आपका जो विभाग है या पी.यू.सीज. हैं उसमें यह लेप्सेस हैं within the shortest possible time एक महिने में वह उसको पूरा करके डिस्कशन करेगा या सीएजी के साथ बैठकर के तय करेगा और उसमें कोई पैरा बनता है तो ठीक है, नहीं है तो उसको खत्म करें। देखने में यह आता है कि तीन-तीन साल तक उनको कोई जवाब नहीं आता है, सरकार की तरफ से या जितनी भी अंडर टेकिंग है उनका जितनी भी हमारी कमेटियां हैं उनमें जवाब नहीं आता है। उसके पश्चात सारे डिस्कशन होने के पश्चात सीएजी रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट असेम्बलि में पेश हो जाती है और उसके पश्चात वापिस हामरे पास आती है कमेटियों में, जब वह वापिस जाती है और हम जब डिस्कशन करते हैं तब तक पाँच-पांच, सात-सात या दस-दस साल तक निकल जाते हैं और जब हम उसकी वापिस पालना रिपोर्ट पूछते हैं तो उसमें और समय लग जाता है। इसकी वजह से और देरी होती है इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, दो-तीन बातें कहनी हैं गुड गवर्नेस के लिए भी, यह आवश्यक है कि इनका अतिशीघ्र निपटारा हो। तो तुरत-फुरत के पैरे हैं, साल-डेढ़ साल में इनकी रिपोर्ट पेश हो जाये, विद इन ए ईयर अगर यह पेश हो जाती है तो काम हलका भी हो जायेगा।

जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग है उनमें जो अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं वह एक-एक साल में ट्रांसफर हो जाते हैं, छः-छः महिने में ट्रांसफर हो जाते हैं। यदि उनकी जवाबदेही तय करनी है तो दो-तीन साल तक उनको उसी पद पर रखा जाये, जब तक कि कोई इस प्रकार की इमरजेंसी नहीं हो या कोई बहुत ज्यादा खराब काम कर रहा हो तो उसको हटाने की बात हो, नहीं तो दो-तीन साल तक आप उनको परखें और तब जाकर के उनसे हम काम की उम्मीद कर सकते हैं कि यह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी अकांउटेबिलिटी भी फिक्स हो सकती है, अन्यथा उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो सकती है और रिटायरमेंट के बैनेफिट जल्दी मिल जाते हैं, रिटायर होकर के आदमी चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है तो भी उसकी रिकवरी हम नहीं कर सकते हैं इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो सी.पी. साहब ने कहा है उस पर आप ध्यान देवें और जल्दी से जल्दी अधिकारी गण इन रिपोर्टस पर या सीएजी जो एग्जामिन करता है उसी समय उनकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो और हम सब इस जनता के प्रति अपनी जवाबदारी को पूरा कर सकें।

आपने माननीय अध्यक्षा जी, यह कार्यक्रम प्रारंभ करवाया, आदरणीया मुख्यमंत्री जी पधारी, हमारे सभी अधिकारी गण पधारे, हमारे विधायक गण पधारे, उन सबका मैं हृदय से आभार मानते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको पुनः-पुनः धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

उदघोषक: इसी के साथ यह उदघाटन सत्र यहीं विराम होता है। आप सभी कृपया चाय, काफी के लिए पधारें।

jyg/akt/9.10.7/12.30/seminar/1g

प्रथम सत्र

उद्घघोषक: माननीय सदस्यगण, प्रथम सत्र शीघ्र प्रारम्भ होने जा रहा है। इस सत्र में प्राक्कलन समिति 'क' और प्राक्कलन समिति 'ख' के उद्बोधन आप सुनेंगे। इस प्रथम सत्र की अध्यक्षता माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा कर रही हैं। प्राक्कलन समिति 'क' के सभापति श्री कालीचरणजी सर्राफ साहब और प्राक्कलन समिति 'ख' की ओर से पूर्व मुख्य मंत्री, श्री शिवचरणजी माथुर साहब आपको उद्बबोधन देंगे। सर्वप्रथम मैं माननीय श्री शिवचरणजी माथुर साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया जवाब देयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की ओर एक कदम विषय पर आप मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें।

09102007/1245/1h

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): आज की इस महत्वपूर्ण सेमिनार की अध्यक्षा हमारी विधान सभा की अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, कालीचरण जी, उपस्थित विधायक साथियो, विधायकगण, सज्जनो और देवियो। मैं समझता हूं आज की इस सेमिनार का जो विषय है उसकी गंभीरता को हम सब लोग जानते हैं, जानते हुए हम यह भी महसूस करते हैं कि हमारे सारे डेलिबरेशंस का, इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, डिपार्टमेंट को एग्जामिन करते हैं, एग्जामिन करने के बाद अपने रिपोर्ट देते हैं, उसकी अंतिम परिणति क्या होती है, यह भी हम सब जानते हैं।

आज से दो-सवा दो साल पहले इसी प्रकार की सेमिनार नोएडा में हुई थी, जिसमें हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष सोमनाथ जी चटर्जी ने उद्घाटन भाषण दिया था और कई प्रदेशों के माननीय सदस्य और उसकी समितियों के सभापति उस सेमिनार में शामिल हुए थे। मैं ऐसा मानता हूं लिटरेचर तो हमें शायद अभी भी नहीं मिला है, उस पर विचार करके देखें आपको महसूस होगा उस सेमिनार में जो निर्णय लिये गये थे ज्यों का त्यों आज भी वे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं। यदि उस सेमिनार के निर्णयों पर थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करते तो हम आज की सेमिनार में कह सकते थे कि हमारी जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वह सही मायने में जनता के हित के लिए कुछ

कारगर सिद्ध हुआ। जैसा कि मुख्यमंत्रीजी ने अपने भाषण के अंत में कोफी अन्नान का एक पेज पढ़ा था कि अगर अकाउंटेबिलिटी एश्योर कर दें बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी दूर की जा सकती है।

मैं पीयूसी का चेयरमैन भी रहा, एस्टीमेट कमेटी का चेयरमैन भी रहा और मुझे सरकार चलाने का भी मौका मिला। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग सारी औपचारिकताएं करते हैं। जो ऑडिट पैरा सीएजी की ओर से आता है वह आडिट पैरा कई सालों के बाद हमारी कमेटी के सामने आता है। जनलेखा समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने इन सभी विषयों पर बहुत साफ तौर से प्रकाश डालते हुए यह कोशिश की थी कि यदि सही समय पर सही तौर से इन रिपोर्टस पर विचार हो जाए और इसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर दी जाए तो सही मायने में जनता की शिकायतें दूर हो सकती हैं। इन दिनों में मेरा ऐसा विश्वास बनता जा रहा है कि विकास के वास्ते जिन कामों की हम दुहाई देते हैं जनता ने महसूस करना शुरू कर दिया है कि विकास तो आपको करना ही है क्योंकि आपको भेजा इसीलिए गया था, लेकिन अच्छा प्रशासन आप कैसे दे सकते हैं यह एक सरकार की अच्छाई और बुराई की कसौटी हुआ करती है। मैं ऐसा मानता हूं कि विधान सभा जो हमारी एक गारंटी है जनता के हितों की उसके सामने जो प्रश्न आते हैं यदि उनको सही मायने में हमारी सरकार सोच ले तो बहुत दिक्कतें दूर हो सकती है। अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि विधान सभा में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं जो विभाग के जरिये से आपको सरकार से नहीं मिल सकती। इसलिए विधान सभा का अधिक से अधिक सत्र चलाया जाए, ज्यादा दिन तक बहस की जाए, यह सरकार के हित में भी है और मूल रूप से जनता के हित में भी है।

मैं उस सेमिनार का जिक्र कर रहा था। उस सेमिनार में यह सब बातें कही गई थी। आज रिपोर्ट पेश होती है वो रिपोर्ट दो-तीन साल पुरानी रिपोर्ट होती है। ऑडिट पैरा जरूर आते हैं, उनका रेलेवेंस एक प्रकार से समाप्त हो जाता है। जिन अधिकारियों ने गलती की है, रिटायर हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं ऐसी स्थिति भी आ सकती है। जो नये अधिकारी, जिन्हें हम एग्जामिन करते हैं जब उनसे हम सवाल पूछते हैं तो वे अपने विभाग को बचाने की कोशिश करते हैं और बचा भी नहीं पाते। उसके बारे में हम रिपोर्ट भी पेश करते हैं, लेकिन उन रिपोर्टस का होता क्या है? पीएसी या पीयूसी की तरफ से जो आपके साक्ष्य के रिजल्ट आते हैं उनको हम विभाग में भेजते हैं, विभाग अपनी एटीआर, एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजता है, उसमें पासिंग दी बक होता है, हमने आपके सामने जो आश्वासन दिये उस पर संबंधित विभाग को लिख दिया है, आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं और जब फिर से जो एटीआर कमेटी के सामने आती है, एटीआर पर

जो एक्शन करने की बात आती है और जैसा कि कहा गया, क्योंकि रिपोर्ट पर एक्शन लेने की बात कही गई है, यदि तीन साल से ज्यादा हो जाता है तो राज्यपाल के पास में अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही के लिए भेजना पड़ता है। यह सब एक ऐसा तंत्र है जो टालने के लिए और मैं तो यह कहूंगा कि चुने हुए जन-प्रतियनिधि सभा असेम्बली है उसकी अवहेलना का एक सीधा सा प्रयास है।

शांतिलाल जी चपलोत ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो आडिट पैरा होते हैं उनको सीएजी उन अधिकारियों को वही मौके पर पूछे ले कि इसका क्या उत्तर देना है, सरकार की तरफ से अगर आडिट पैरा को समाप्त करना है वहीं अगर समाप्त कर दिया जाए तो जो एरिंग आफिसर हैं, जिन्होंने गलती की है उनको भी एक सबक मिलेगा, मैं समझता हूं जो जनता की शिकायतें हैं वे दूर भी होंगी। आज के इस सत्र में, मैं समझता हूं पहले सत्र में तो करीब 50-60 सदस्य थे और लगता तो ऐसा था कि मुख्यमंत्रीजी को सुनने ही कुछ लोग आये हों और वास्तव में एक विषय पर चर्चा करने की अभिरुचि लोगों में कम है, ऐसा मैं मानता हूं। तो हम सब लोग इस प्रक्रिया के अंतर्गत काम को समझते हैं। मैं तो अध्यक्षा जी, इस सेमिनार के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा, हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं जो सेमिनार का निर्णय हो उस निर्णय को सरकार कहां तक लागू कर सकती है? नहीं कर सकती तो कम से कम कोई देखने वाला होना चाहिए। जुलाई, 2005 में जो सेमिनार नोएडा में हुई थी ज्यों का त्यों उसका निर्णय आप भी रिपीट करेंगे तो क्या मतलब हुआ ढाई साल बाद हम फिर मिल रहे हैं और उन्हीं सवालों को फिर से दोहरा रहे हैं। एक औपचारिकता पूरा करने की बात हम लोग करते हैं और यह रिचुअल नहीं होना चाहिए। अधिकारियों का भी मन बन गया है, ठीक है पीयूसी के सामने, पीएसी के सामने, एस्टीमेट कमेटी के सामने जाएंगे और अपना जवाब दे देंगे उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे मालूम है जब मैं पार्लियामेंट में थर्ड लोकसभा में था 1962 से 67 तक तब पीएसी की कमेटी में मैं मेम्बर था और उसमें जो साक्ष्य होते थे उन साक्ष्यों पर जो कार्यवाही होती थी उसमें अधिकारियों को सोचना पड़ता था कि हम गलती कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी, लेकिन जैसे-जैसे समय गुजरता गया अधिकारियों को यह मालूम है कि इन कमेटियों के सामने जो साक्ष्य देंगे उसका कोई मतलब होता नहीं है और प्रवृत्ति होती है कि उस पुरानी गलती को किसी प्रकार से सील्ड करने की बात कही जाए। आज के अधिकारियों से पूछते हैं तो कहते हैं मुझे तो उस जमाने की बात मालूम नहीं है, मैंने फाइल पढ़ी है, उस फाइल को आपके सामने पढ़ रहा हूं और जो मुख्य अधिकारी शपथ लेकर आपके सामने साक्ष्य देता है उसकी स्थिति यह होती है कि विषय की पूरी जानकारी उसको नहीं होती है, उसके जो सहायक पीछे बैठे रहते हैं

हर विषय पर, हर पाइंट पर वे उससे पूछकर जानकारी लेकर हम जवाब देते हैं। मैं तो इस मौके पर इस सेमिनार के माध्यम से एक ही बात कहना चाहूंगा यदि सेमिनार के निर्णयों को आप लागू करने की बात सोचते हैं तब तो सही बात है, ऐसी सेमिनार करने का कोई मतलब है, बाकी तो हम एक रिचुअल करके, एक गेट टुगेदर करके उठ जाएंगे और उठने के बाद कोई निर्णय नहीं होने की स्थिति होगी, अगली बार एक साल बाद कोई सेमिनार होगी तो उसी प्रकार का रिचुअल हम पैदा करेंगे।

सीपी कह रहे थे सही बात है पिछली गवर्नमेंट की गलतियों को आप नई गवर्नमेंट की कमेटी में देखने की बात करें तो कहां तक तर्कसंगत है। एक बात और अंतिम कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जो यहां पर गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है चाहे पब्लिक अण्डरटेकिंग हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे निकाय हो उन सभी की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और उसमें पिछली सेमिनार में यह निर्णय हुआ था इसके लिए एक अलग से कमेटी बनाकर उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि उन्हीं निर्णयों को यदि आप फिर से दोहराएं तो बहुत सी बातें जो विस्तार से सीपी जोशी ने कही हैं उनका कुछ असर होगा, अगली बार जब हम मिलेंगे तो एक्शन टेकन रिपोर्ट आप पहले से कहें, आज तो स्थिति यह है कि हम सेमिनार में आये उसके पहले हमारे पास कोई लिटरेचर ही नहीं था, किस पर हम बोलेंगे, हमारे पास कोई एजेण्डा नहीं था, इस तरह से साधारण तौर से सेमिनार करना मैं समझता हूं लाभदायक होता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि अध्यक्षजी ने जो जिम्मेदारी लेकर सेमिनार का आयोजन किया है, हमारी जो चारों कमेटियां हैं, फाइनेंशियल कमेटी हैं उन चारों के साथ बैठिए, सारी कमेटियों को मत बुलाइए, बैठकर सही मायने में एक्शन लेने की प्रक्रिया इनिसिएट करने की बात आप करेंगे तो उसका लाभ होगा, यही बात मुझे आपसे कहनी है बाकी तो आप जो कमेटी के मेम्बर हैं सब जानते हैं कैसे साक्ष्य होता है, कैसे जवाब दिया जाता है, किस तरह से एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है उस पर पासिंग दी बक कैसे किया जाता है और उसके बाद कई महीने के बाद जब दुबारा रिपोर्ट आती है तो एक ही बात लिखी होती है कि हमने संबंधित अधिकारी को आदेश प्रसारित कर दिया है। कोई भी अधिकारी, यहां का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है असेम्बलि का वह कहने की स्थिति में नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी भी अधिकारी को उसके खिलाफ जो आडिट पैरा सीएजी की रिपोर्ट में आये वे सही साबित हो गये तो उन पर कोई कार्यवाही हो, ऐसा कोई उदाहरण विधान सभा में मिलता नहीं है, मुझे याद नहीं है। लोकसभा में तो मिलता है, लोकसभा में तो मैं जब पार्लियामेंट में था तो पीएसी की मीटिंग में कई ऐसे उदाहरण मैंने देखे जिनमें अधिकारियों को सज़ा मिली, वह प्रक्रिया अगर हम चालू कर सकें तो मैं

समझता हूं ऐसी सेमिनार का कोई मतलब होगा बाकी तो एक मेंटर एक्सरसाइज है जिसमें आप और हम सब कर लेंगे और खाने के बाद विदा हो जाएंगे, यही बातें मुझे आपसे कहनी थी, जयहिन्द।

उद्घोषकः अब मैं प्राक्कलन समिति ''क'' के सभापति श्री कालीचरण जी सर्राफ को उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): इस सेमिनार में उपस्थित विधान सभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा जी, विपक्षी दल के नेता सम्माननीय रामनारायण जी चौधरी, संसदीय कार्य मंत्री राठौड़ साहब, पूर्व मुख्यमत्री सम्मानीय माथुर साहब, जनलेखा समिति के सभापति आदरणीय जोशी जी, राजकीय उपक्रम समिति के सभापति सम्माननीय चपलोत साहब, विधायकगण, अधिकारीगण, उपस्थित भाइयो और बहनो।

आज मुझे अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि समितियों के प्रति, विधान सभा के प्रति अकाउंटेबिलिटी किस प्रकार से सुदृढ हो इस पर विचार करने के लिए इस सेमिनार का आयोजन किया गया है। उद्घाटन सत्र में जनलेखा समिति के अध्यक्ष सम्माननीय जोशी जी ने, राजकीय उपक्रम समिति के अध्यक्ष माननीय चपलोत साहब ने और अभी मेरे से पूर्व सम्माननीय माथुर साहब ने विस्तार से किस प्रकार से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए उसके बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं पिछले चार साल से एस्टीमेट ए कमेटी का चेयरमैन रहा हूं, कमेटी किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से विभिन्न विभागों का परीक्षण होता है, अधिकारी किस प्रकार से जवाब देते हैं, क्या आश्वासन वे देते हैं और किस प्रकार से विधान सभा में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, सम्माननीय सदस्य इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। मैं तो इस अवसर पर पिछले लगभग चार वर्षों से एस्टीमेट कमेटी ए के चेयरमैन के रूप में जो मैंने कार्य किया है और इस दौरान जो मैंने अनुभव किया है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। यह बात सही है कि मैंने यह अनुभव किया है कि एक्जीक्युटिव की, लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबिलिटी में निरन्तर गिरावट आती जा रही है इसलिए आज हमको इस सेमिनार में इस बात पर चिन्तन करना चाहिए, विचार करना चाहिए।

skp/akt/09/10/07/13.00/1j

इन समितियों के माध्यम से एक्जीक्यूटिव की रेस्पोंसिबिलिटी जो निरन्तर गिरती जा रही है, को किस प्रकार से बढ़ाया जाए। आज यदि हम देखें तो पाएंगे कि डिपार्टमेंट्स को समिति के कार्यों के प्रति जिस प्रकार से उनको गम्भीर रहना चाहिए, डिपार्टमेंट के अधिकारी और डिपार्टमेंट उतने गम्भीर नहीं रहते। परीक्षण

के लिए प्रश्नावली भेजी जाती है, उसमें टाइम बताया जाता है कि पन्द्रह दिन में आप इसका जवाब भेजें तो बहाना बनाकर समय पर उनका जवाब नहीं भेजा जाता। परीक्षण की हम तारीख तय करते हैं तो उस तारीख पर अधिकारी कोई न कोई बहाना बनाकर कि मेरे यह काम हो गया, मेरे यह काम हो गया, वह नहीं करने का प्रयास करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सेमिनार के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि विधान सभा का सत्र तो बहुत कम समय के लिए चलता है लेकिन समितियां जो काम करती है वह एक मिनी असेम्बली के रूप में काम करती है। विधान सभा सत्र के दौरान जिस प्रकार अधिकारी अलर्ट रहता है, कोई भी बात वहां पूछी जाती है तो उसका जवाब देने के लिए वह हरदम तैयार रहता है, उसी प्रकार से यहां भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जब समिति किसी विभाग का परीक्षण करे, जिस अधिकारी को बुलाए वह पूरी तैयारी के साथ उसमें आए और फिर समिति के परीक्षण के दौरान जो आश्वासन वह समिति को दे वह इस प्रकार से उन आश्वासनों को दे कि उसको यह भान हो कि मैं विधान सभा में यह आश्वासन दे रहा हूं। होता यह है कि वह समिति के माध्यम से आश्वासन देकर चले जाते हैं, समिति अपनी अनुशंसा करती है फिर अधिकारी उन आश्वासनों को पूरा करें कि नहीं करें यह उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। समिति के पास कोई अधिकार नहीं है कि यदि उनकी समिति को कोई अधिकारी आश्वासन देकर जाता है, उनको वह पूरा नहीं करे तो समिति के पास कोई अधिकार नहीं है उस पर कोई एक्शन समिति नहीं ले पाती है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे चार-पाँच सुझाव हैं इस सेमिनार के माध्यम से, इनको यदि लागू किया जाए तो निश्चित रूप से इस सेमिनार की उपयोगिता होगी अदरवाइज मुख्य मंत्रीजी का भाषण हो जाएगा, अध्यक्षजी का भाषण हो जाएगा, सब सभापति यहां बोल लेंगे, तालियां बज जाएगी और फिर अपने घर चले जाएंगे और इन पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो इस सेमिनार का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उन पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए और विचार होकर उन पर कार्यवाही हो तो इस सेमिनार की सार्थकता होगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे चार-पाँच सुझाव हैं। पहला सुझाव है, समितियों की अनुशंषा सरकार के लिए आदेश बने, ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। दूसरा सुझाव है कि समितियों की बैठकों में आवश्यक होने पर सम्बन्धित विभाग के मंत्रियों को भी बुलाए जाने का प्रावधान होना चाहिए। आज होता क्या है कि अधिकारी आते हैं और मंत्रियों को पता ही नहीं लगता कि मेरे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने समिति को क्या आश्वासन दिया है, क्या

उस पर करना है और इसके कारण जो अनुशंषा समिति करती है उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है और यदि मंत्री सम्बन्धित समिति के परीक्षण के दौरान आएंगे और फिर वहां जो आश्वासन दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी पालना होगी। इसलिए समिति के प्रति रेस्पोंसिबिलिटी बढ़े इसके लिए आवश्यक है कि जब भी आवश्यक हो मंत्रियों को बुलाए जाने का भी अधिकार समिति के पास होना चाहिए। इसी प्रकार से मेरा तीसरा सुझाव है कि जनता को यह पता ही नहीं रहता कि समिति क्या कर रही है। जनता को यह मालूम होना चाहिए कि जनता के लिए हम क्या कर रहे हैं, विभागों के प्रमुख शासन सचिवों के क्या उत्तरदायित्व है। इसलिए इन समितियों की पूरी कार्यवाही इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से जनता तक जाए, इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए। चौथा मेरा सुझाव है कि समिति की जिन सिफारिशों की क्रियान्विति नहीं होती है उनके सम्बन्ध में सदन में चर्चा होनी चाहिए। आज समिति कोई रिपोर्ट देती है या अनुशंषा करती है और वह जाकर हमारी आलमारी की शोभा बन जाती है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता, अधिकारी जो आश्वासन देते हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो इस प्रकार जो हम सिफारिश करते हैं, रिपोर्ट पेश करते हैं उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो तो सदन में उन पर चर्चा हो, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पांचवां मेरा सुझाव जो बहुत महत्वपूर्ण है कि समिति की रिपोर्टों और अनुशंषाओं की क्रियान्विति हेतु सरकार को प्रत्येक विभाग में अपना एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से रेस्पोंसिबल हो और उसकी रेस्पोंसिबिलिटी तय होनी चाहिए। यदि विभाग निश्चित अवधि में समिति को जवाब नहीं दे या किसी भी विभागाध्यक्ष का जवाब नहीं आता है तो वह इसके लिए रेस्पोंसिबल हो और यदि वह अपनी रेस्पोंसिबिलिटी में विफल रहे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जो सुझाव दिए हैं उनकी क्रियान्विति कर यदि लागू करें तो निश्चित रूप से एक्जीक्यूटरी की लेजिस्लेचर के प्रति अकाउण्टेबिलिटी बढेगी और जो हम एक कल्पना करते हैं कि यह समिति विधान सभा का ही छोटा स्वरूप है, उस कल्पना को हम साकार कर पाएंगे।

मैं इस बात के लिए तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कम से कम इस विषय की गम्भीरता समझी और आज यह सेमिनार यहां आयोजित की। मैं समझता हूं कि यह सेमिनार समय समय पर यदि इसी प्रकार होती रहे और उनमें कुछ सार्थक निर्णय हो तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य को लेकर इस सेमिनार का हमने आयोजन किया है उसमें हम सफल होंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत।

उद्घोषकः माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राजेन्द्र सिंहजी राठौड़, को आमंत्रित कर रहा हूं सम्बोधन के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री): विधान सभा की माननीय अध्यक्ष, सुमित्रा सिंहजी, सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री, शिवचरणजी माथुर साहब, प्राक्कलन समिति 'क' के सभापति, कालीचरणजी सर्राफ साहब, सभागृह में उपस्थित सम्माननीय विधायकगण, अधिकारीगण और मित्रों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय को कि आज यह सभागृह साक्षी बन रहा है, उस तीसरे राज्य की उस कार्य शाला के लिए, आज इस प्रजातंत्र के मूल मंत्र के रूप में जवाबदेयता, सुशासन और पारदर्शिता के बारे में यहां चर्चाएं हो रही हैं। निश्चित तौर पर अध्यक्ष महोदय, वह समय आ गया है कि आज राजस्थान की वित्तीय समितियों के माध्यम से हम उस तंत्र को जो तंत्र शासन चलाता है, उसको सुदृढ़ करने के साथ-साथ जवाबदेही और सुशासन के लिए भी रचनात्मक सहयोग दें। इस सभा गृह में उपस्थित बहुत से माननीय सदस्य जिनके पास अपार अनुभव है, सबने यह महसूस किया कि वित्तीय समितियां, अपनी संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार हम उनका निर्माण जरूर करते हैं, करना भी पड़ता है, पर वित्तीय समितियों के माध्यम से जिस तरह का एक प्रकार से अंकुश लगाने का काम या वित्तीय अनियमितताओं को इंगित करने का काम करना चाहिए, उसमें चाहे किसी भी दल या पार्टी की सरकार रही है उसमें किसी न किसी तरह की कमी निश्चित तौर पर रही है।

अध्यक्ष महोदय, 19988 के अंदर जब केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों के लिए जस्टिस सरकारिया की अध्यक्षता में कमीशन बना था उस समय भी यह चर्चा चली थी, लोक सभा और विधान सभा की जो समितियां हैं वह समितियां एक तरह से अंकुश लगाने का काम करे, साथ में आज हमारी ए जी की रिपोर्ट में ऑडिट पैरा से लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट तक इसमें समयबद्धता हो और इसमें 6 महीने का समय हो, जन लेखा समिति में मुझे भी काम करने का मौका मिला है। निश्चित तौर पर जब सबसे पहले ऑडिट आक्षेप आता है और उसका विभागीय स्तर पर परीक्षण होता है, उस परीक्षण का दौर इतना लम्बा खिंच जाता है और उस परीक्षण के बाद और विभाग के उत्तर और प्रत्युत्तर के बाद जब ए जी पैरा बनता है और पैरा बनने के बाद जब वित्तीय समितियां उसका परीक्षण करती है, साक्ष्य लेती है इसमें भी समय इतना लम्बा जाता है और इसके बाद विधान सभा में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद जब उसकी ए टी आर देखते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट देखते हैं तो जिस तरह से सम्माननीय सी पी जोशी जी अभी कह रहे थे, समय बड़ा लम्बा निकल जाता है1 इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम इस ए जी की इन्टरनल ऑडिट से लेकर, प्रारम्भिक

आक्षेप से लेकर एक्शन टेकन रिपोर्ट तक सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो कहा था, इसमें समयबद्धता होनी चाहिए, इसमें राजस्थान की विधान सभा की वित्तीय समितियां भी एक समय सुनिश्चित करे। तंत्र जवाबदेह होना चाहिए, आज यह जुमला हमने कई मंत्रियों से भी सुना है, पर सुशासन की बात को लेकर इतनी व्यापक चर्चाएं, यह शब्द 'सुशासन' एक छोटा सा शब्द है पर इस पर इतनी व्यापक चर्चाएं की जा सकती है, मैं समझता हूं कि उसका ओर छोर भी नहीं है। राजस्थान की सरकार ने लगभग एक साल पहले इसी सुशासन पर एक गोष्ठी की थी, कार्यशाला तीन दिन की, कार्यशाला में सब लोगों ने बड़े व्यापक रूप से अपनी बात कही, कुछ इन्हरेंट वीकनेसेज, जहां पर शासन करने वाले लेजिस्लेचर्स की रहती है वहीं कुछ इसी तरह की मजबूरियां हमारे इन ब्यूरोक्रेट्स और प्रशासन तंत्र की रहती है। जब तक इस पर खुल कर चर्चा नहीं होगी तो मैं समझता हूं कि हम अपनी बात को इसके माध्यम से यहां पर रख सकते हैं। हम सब आज यहां बैठे हैं, हमारा सबका मंतव्य एक हो सकता है, तंत्र की जवाबदेयता के बारे में किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं लेकिन यह कैसे हो इस पर जब तक खुली चर्चा नहीं होगी तब तक मैं समझता हूं कि इस कार्यशाला का जिस तरीके का परिणाम आप अध्यक्ष महोदय चाहते हैं, उस तरह का परिणाम नहीं निकलेगा।

विजय/चौहान/09102007/1315/जन लेखा समिति/1k

आज जो बजट बनता है, आज सुबह ही मेरी चर्चा हो रही थी सी.पी.जोशी साहब के साथ, बजट के अनुमान के साथ जब हम बजट विधान सभा में प्रस्तुत करते हैं और बजट बहस प्रारम्भ होती है तो अगर हम आज तक की विधान सभा के अन्दर देखें तो उस बजट बहस के अन्दर हम पक्ष और प्रतिपक्ष के अलग-अलग रंगमंच पर अपनी-अपनी बातों को अपने-अपने तरीके से कहते हैं पर अगर यह इसी तरह से, जिस तरह से पार्लियामेंट के अन्दर बजट कमेटीज में जाता है और कमेटीज में बजट जाकर उस पर चर्चा होकर वापस जब लोक सभा में आता है तो उसमें जो सार्थकता रहती है और उसके अलग-अलग विषयों पर जब कुछ माननीय सदस्य बैठकर उसको व्यापक तौर पर देखते हैं। माननीय शिवचरण जी माथुर साहब बैठे हैं, कई बार आपने कहा भी है अगर इस तरह का यहां राजस्थान की विधान सभा में हो तो वह स्वागत योग्य है और आप इसके पक्षधर भी हैं कि कुछ न कुछ अपने को करना चाहिए। अभी डाक्टर जोशी साहब सही कह रहे थे कि बी.ई. से लेकर आर.ई. तक और सप्लीमेंट्री डिमांड के बाद जब सरेण्डर्स आते हैं, जब बचत आती है तो सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या आवश्यकता थी कि हम सप्लीमेंट्री डिमांड के अन्दर और एक्सेस अमाउंट

की मांग करें और उसके बाद वापस उसको सरेण्डर करें और कई बार सप्लीमेंट्री के बाद भी और एक्सेस हो जाता है तो बजट अनुमान में तो हम यह सोच सकते हैं कि हमारा यह अनुमान है पर बजट अनुमान के बाद जब आर.ई. आते हैं तो उसके बाद हमारे सामने सारी चीजें लगभग सामने आ जाती हैं और इन चीजों में जब तक व्यावहारिक दृष्टिकोण नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि जिस मंशा के साथ जिस सिस्टम को हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, वह इम्प्रूव नहीं होगा। वैसे ए.जी. की रिपोर्ट ने इस हिन्दुस्तान की राजनीति को बदल दिया था। माननीय वी.पी. सिंह साहब जिस रिपोर्ट के आधार पर बोफोर्स की बात करने निकले थे, आपको याद होगा, उन्होंने सबसे पहले पत्रकार वार्ता के माध्यम से हिन्दुस्तान की जनता को ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में अगर आम व्यक्ति ने समझा था कि ए.जी. भी ऐसा कोई तंत्र है जो अपनी रिपोर्ट देती है तो वह उस समय समझा था। इसलिए यह बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इस पूरी चीज को हम किस तरह से लागू करें। वित्तीय समितियां किस तरह से अपने काम को और मजबूती से करे, उसके लिए एक व्हाइट पेपर बनना चाहिए उस पेपर के माध्यम से हम यह भूल जायें कि हम किस दल के हैं और किस पार्टी के हैं। अगर सिस्टम को मजबूत करना है, सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो कहीं से ठोस पहल की आवश्यकता है और उस ठोस पहल की बुनियाद आपने रखी अध्यक्ष महोदय। मुझे यह मालूम नहीं था कि मुझे बोलना है, मुझे तो आपने अभी हुक्म दिया इसलिए मैंने मेरी जो टूटी-फूटी भावना है, वह आपके सामने रखी। आपने मुझे समय दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद देता हुआ आपकी इस सार्थक पहल के लिए, आपको बहुत-बहुत साधुवाद, और बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्घोषक(श्री सुरेश चन्द जैन): अब मैं माननीय अध्यक्ष महोदया से निवेदन करूंगा कि कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें।

श्री रामप्रताप कासनिया: अध्यक्ष महोदया, अभी मंत्री महोदय कह रहे थे कि खुली चर्चा होगी, वह कब होगी?

श्री अध्यक्ष: अगले सेशन में (व्यवधान) शाम को होगी, नैक्स्ट सेशन में होगी।

सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, पी.एं.डी. मंत्री राठौड़ साहब, शिवचरण जी माथुर साहब, चारों वित्तीय समितियों के अध्यक्ष साहिबान, विधायकगण, प्रशासनिक तंत्र के सभी अधिकारीगण। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि आखिर सुशासन का मतलब क्या है? क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जनता के वोटों से चुनकर आती है तो उसका यह कर्त्तव्य है कि वह जनता को ऐसा शासन दे जिसमें जनता की आकांक्षाएं और जनता की आशाएं प्रतिबिम्बित होती हों और आज का विषय बहुत सीमित है क्योंकि एकाउंटेबिलिटी के लिए कई बातें और भी जिम्मेदार हैं लेकिन हमारा विषय आज का सीमित है और सीमित विषय

वह है "जवाबदेयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की ओर एक कदम" मतलब कुल मिलाकर तीन बातों के ऊपर हम आ गये। एग्जीकुटिव, लेजिस्लेचर और आडिट, क्योंकि चारों समितियां हैं, वह कुल मिलाकर लेजिस्लेचर का, विधान सभा का छोटा स्वरूप हैं, मिनी स्वरूप हैं और इसलिए फिर वह चारों समितियां हैं, वे किस प्रकार से एकाउंटेबल बनाये एग्जीकुटिव को, सरकार को, यह इस बारे में करीब-करीब सभी वक्ताओं ने अपनी बात रखी और खास तौर से कालीचरण जी ने इस बात को रखा कि उसके लिए, एकाउंटेबिलिटी के लिए ये बातें होनी चाहिए, ये शर्तें होनी चाहिए।

मेरा भी अपना मानना है कि जब तक इन वित्तीय समितियां हैं, इनके लिए रिपोर्ट को मेंडेटरी नहीं बनाया जाये, आवश्यक रूप से सरकार के लिए नहीं बनाया जाये, तब तक केवल रिकमण्डेशन कर देना, रिकमण्डेटरी बना देना, मैं समझती हूं कि सुशासन के लिए यह जरूरी नहीं है, यह आवश्यक भी नहीं है और फिर जिन बातों पर मेरा यह भी मानना है कि यदि सरकार उन सभी सिफारिशों को, जो रिपोर्ट्स हैं कमेटी की, उसको यदि मान लीजिये किसी बात में भिन्नता है फिर हाउस में उसकी चर्चा होनी चाहिए। जहां सरकार नहीं माने जिन सिफारिशों को तो हाउस में चर्चा हो ताकि एकाउंटेबिलिटी एग्जीकुटिव की हो क्योंकि आखिर सुशासन की जब हम बात करते हैं तब एग्जीकुटिव को एकाउंटेबल लेजिस्लेचर के प्रति होना होगा क्योंकि लेजिस्लेचर ही जनता की भावनाओं को प्रतिबिम्बित करता है। यह चूंकि विषय से संबंधित नहीं है क्योंकि आज का विषय बहुत सीमित है लेकिन यह बात सही है कि जितने अधिक दिन विधान सभा चलेगी, सत्र लम्बा होगा, सभी लोगों को जनता की तकलीफों को, जनता की भावनाओं को रखने का मौका मिलेगा, सरकार को उस बारे में जानकारी होगी और सरकार जानकारी करके उन सभी बातों को पूरी करने की जिम्मेदार होगी। इसलिए अपने आप ही विधान सभा का सत्र जितना ही लम्बा चलेगा, उतना ही सुशासन होगा। यह बात बिलकुल सही है लेकिन चूंकि विधान सभा का सत्र भी उतना लम्बा नहीं चल सकता है तो विधान सभा का स्वरूप ये चारों वित्तीय समितियां हैं, जो एग्जामिनेशन के दौरान जैसाकि कहा है कि क्योंकि सही बात है, सरकार कौनसी थी, किसके समय में सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में कुछ बात आई, जैसा मैंने कहा कि तीन बातें हैं, आडिट, लेजिस्लेचर और एग्जीकुटिव है, आज का विषय हमारा इन तीनों तक सीमित है। रिपोर्ट आई कब की, सात वर्ष बाद उस पर डिस्कशन होता है, कौन जिम्मेदार है, कमेटी के अन्दर भी किसको बुलाया जाता है? उसको बुलाया जाता है जो आज के दिन वहां पर इन्चार्ज है, जो आज के दिन वहां पर अधिकारी है। जिसने यह सब किया है सात साल पहले, वह पता नहीं, रिटायर होकर चला गया,

सेवानिवृत्त हो गया या किसी और विभाग में चला गया तो जिम्मेदार तो वह था, एक्शन किसके खिलाफ लोगे आज आप? इसलिए समय पर वह रिपोर्ट भी पेश हो, वह समय पर लेजिस्लेचर में आनी चाहिए। 2006 में यह प्रावधान किया, सी.ए.जी. की रिपोर्ट, एप्रोप्रिएशन बिल जब आये, उसके पूर्व में दी जा सके, ताकि लोगों को मौका मिले उसके ऊपर अपने विचार प्रकट करने का और अपनी बात कहने का।

मैं इस सम्बन्ध में एक और भी सूचना देना चाहूंगी। वैंकटचलैया समिति जो बनी थी संविधान समीक्षा आयोग के जरिये, उन्होंने कहा था कि जन लेखा समिति का संवैधानिक निकाय का दर्जा होना चाहिए। जब संवैधानिक निकाय का दर्जा जन लेखा समिति का होगा तो अपने आप यह सब समस्या जो आज है एकाउंटेबिलिटी की, वे सब संवैधानिक दर्जा होने के बाद अपने आप ठीक हो जायेंगी। मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहूगी कि सरकार, जब मैं कह चुकी हूं कि सरकार जिन कमेटी की जिन सिफारिशों को नहीं मान रही है किसी भी वजह से, तब सदन में उन पर चर्चा होगी तो उसका भी निराकरण कुछ न कुछ निकलेगा, एकाउंटेबिलिटी निश्चित रूप से बढ़ेगी। कई जगह ऐसा प्रावधान है कई देशों में, कई कंट्रीज में ऐसा प्रावधान है कि जन लेखा समिति का जो सदस्य होता है, वह पी.ए.सी. अपने आप अपना चेयरमैन चुनती है और कुछ देशों के अन्दर ऐसा भी है कि जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर खुद ही पी.ए.सी. का चेयरमैन होता है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौनसा देश है, लेकिन एक देश है जहां पी.ए.सी. का अध्यक्ष ही फाइनेंस मिनिस्टर होता है तो उसका नतीजा यह निकलता है, चूंकि पी.ए.सी. की रिकमण्डेशन होती हैं, वह जवाबदेही हो जाती है सरकार उन सब बातों को आसानी से मानने की और उन सब बातों को पूरा करने की। कई कंट्रीज हैं। इस बारे में एक बात और भी है, आडिट चाहे सी.ए.जी. करे, चाहे हमारा ए.जी. करे चाहे कोई और करे, आडिट को कोई अधिकार नहीं है, केवल वह जो कमियां हैं, उन कमियों को केवल बता देते हैं। यदि उनको भी यह अधिकार दिया जाये कि ऐसे गलत काम करने वाले और जिसे कहना चाहिए कि उसके अन्दर कुछ इस तरह की बात हो, वहां यदि उनको इन बातों के लिए प्रावधान किया जाये कि वे उनके खिलाफ एक्शन ले सके तभी मैं समझती हूं कि बहुत कुछ हो जायेगा, इस मामले के अन्दर एकाउंटेबिलिटी हो जायेगी क्योंकि न्यूजीलैंड, जापान, जर्मनी, फ्रांस, कोरिया, चीन और थाईलैंड जैसे देश हैं, वहां पर लेखा परीक्षा के अधिकारी जो है, उनको सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध उपचारात्मक कार्यवाही करने की वैधानिक शक्तियां हैं। ये वैधानिक शक्तियां उनको दे दी जाये तो अपने आप डर और भय से मेरी समझ में इस तरह का गलत काम और गलत जिसे कहना चाहिए आडिट के जरिये कोई कुछ नहीं कर सकेगा,

सब इन बातों का ध्यान रखेंगे और ऐसा नहीं हो पायेगा तो मैं यह अपनी ओर से निवेदन करते हुए कि आज हमने विषय को बहुत सीमित रखा है, यदि हम केवल तीन ही विषय में नहीं आते हैं। अब हमारा जो नैक्स्ट सेशन होगा लंच के बाद में, मैं चाहूंगी कि उसमें हम इसको थोड़ा विस्तृत कर लें, केवल कमेटियों तक ही सीमित नहीं रहें। आज का विषय हमारा केवल तीन तक सीमित है, लेखा आडिट, एग्जीकुटिव और लेजिस्लेचर, लेकिन सुशासन के लिए और कौनसी बातें हैं जिनके जरिये इनके अलावा भी जो सुशासन के लिए आवश्यक है, इसलिए शाम के वक्त में वित्त विभाग वाले भी बोलेंगे, कोई और भी बोलना चाहेंगे तो उनको भी मैं आमंत्रित करती हूं कि वे भी अपनी बात यहां पर कहें क्योंकि कुल मिलाकर हमारा उद्देश्य केवल इन समितियों को ही अधिकार-सम्पन्न बनाने का नहीं है, बल्कि सुशासन के लिए किस प्रकार से ये समितियां ही नहीं बल्कि लेजिस्लेचर भी अपना काम करें। आज लेजिस्लेचर के अन्दर हम जो बजट पास करते हैं, केवल उसमें चर्चा होती है एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यु की चर्चा नहीं होती है तो कई बातें ऐसी हैं जो निकलकर आती हैं कि जिनको हम करके जिनको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम सुशासन, गुड-गवर्नेंस जिसे कहना चाहिए, सबका मकसद एक ही है कि चुनी हुई सरकार, जनता की चुनी हुई सरकार है, उसका मकसद है कि वह दुबारा आये पर दुबारा कब आये, रिपीट कब हो, जब वह जनता की आकांक्षाओं, आशाओं के मुताबिक अपने लिमिटेड बजट के अन्दर पूरा-पूरा उसका उपयोग सही तरीके से करें। यह नहीं है कि पैसा मंजूर करवाया किसी मद में और उस पैसे को खर्च कर दिया किसी और मद में। जो पैसा भारत सरकार से आया, वह पैसा लैप्स हो गया, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाया इसीलिए आप सब लोगों को यहां पर बुलाया, इसीलिए तकलीफ दी आप लोगों को कि आप सब लोगों के विचार भी इस बारे में जान सकें, सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों के भी हम जान सकें और बाकी इस सीमित विषय के अलावा भी कोई माननीय सदस्य भी यदि इस बारे में चर्चा करना चाहें, अपने सुझाव देना चाहें तो वे भी दें। मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगी, जय हिन्द।

Jkj/usc/1I/13.30/9.10.2007/सेमीनार

उद्घघोषक(श्री सुरेश चन्द जैन, सम्पादक वाद-विवाद): माननीय अध्यक्ष महोदय के सकारात्मक दिशा-निर्देश के साथ ही यह सत्र यहीं समाप्त होता है। अब आप सभी मध्यान्ह भोजन के लिए कैन्टीन में पधारेंगे और ढाई बजे हम वापिस

मिलेंगे तब प्रशासनिक अधिकारियों और अन्य माननीय सदस्यों का एक खुला मंच, एक खुली चर्चा प्रारम्भ होगी। कृपया ढाई बजे तक पधारने का कष्ट करें।

(तदनन्तर मध्यान्ह भोजन हेतु सत्र स्थगित हुआ।)

Lpm/akt 9/10/2007 seminar 14.30 1p

<u>समापन-सत्र</u>

उद्घोषकः सेमिनार के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पूर्व में अवगत कराया गया था कि यह ओपन सेशन रहेगा और अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं सर्वप्रथम माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि उनमें से यदि कोई भी अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वह सादर आमंत्रित हैं।

श्री अध्यक्षः कोई भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। विधायक महोदय कोई नहीं बोलना चाहेंगे?

उद्घोषकः माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ा जी।

श्री अध्यक्षः लेकिन भोजन के बाद संख्या बहुत क्षीण हो गई है, काफी कम हो गए हैं लोग-बाग़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी विधायक साथीगण, सम्माननीय अधिकारीगण। मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने चर्चा करने का एक यह अवसर हम सब लोगों को उपलब्ध कराया। समिति में कार्य करते हुए खासतौर पर जो विधान सभा में नये लोग चुनकर के आते हैं और जैसा कि आप जानती है हर विधान सभा के बाद जो अगली विधान सभा आती है उसमें पिछली विधान सभा के दो तिहाई सदस्य गायब हो जाते हैं, एक तिहाई लोग ही वापस निर्वाचित होकर आते हैं तो समिति के सदस्य के रूप में खासतौर पर जो नये लोग चुनकर के आते हैं उनको सीखने का बहुत अवसर चाहिए होता है। समिति के सदस्य के रूप में काफी समय इस प्रक्रिया में ही उनका निकल जाता है और फिर कई बार कई ऐसे सदस्य भी होते हैं जिनको क्योंकि हमारी समिति का कार्यकाल एक साल का ही होता है तो कई परिवर्तन भी होते रहते हैं तो अच्छा हो यह कि जिन लोगों को भी समिति में सदस्य नामजद किए जाए खासतौर पर फाइनेंसियल कमेटी में उसका कार्यकाल तीन साल होता है।

Bhs/akt/9.10.07/14.45/1q

तो कम से कम उसमें कार्य करते हुए उस स्थिति में आ सकता है कि समिति के क्रियाकलाप को समझ सके। दूसरा जो परीक्षण का तरीका समिति का है उसमें

जो मैटेरियल उपलब्ध कराया जाता है, यह तो निश्चित है सभी जानते हैं माननीय अध्यक्ष खुद बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बहुत लंबा अनुभव आपका है, गवर्नमेंट समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराती और फिर स्टडी मीटिंग जो भी होती है असेंबली के अंदर वो बिलकुल बहुत औपचारिक होती है। उसमें स्टडी जैसा कोई काम होता नहीं है तो बहुत अच्छा हो कि जब परीक्षण जिस दिन नीयत किया गया हो महालेखाकार उससे पहले या महालेखाकार के प्रतिनिधि माननीय सदस्यों के साथ में उस संबंधित परीक्षण की विषय वस्तु पर चर्चा करें। क्योंकि इनके पास जो विवरण उपलब्ध होता है जब शुरूआत में ये लोग एतराज करके भेजते हैं बहुत शुरूआत में गवर्नमेंट को, उनके पास बहुत पर्याप्त जानकारी होती है लेकिन उसका कोई संवाद इंट्रेक्शन समिति के सदस्यों के साथ नहीं हो पाता। तो एक तो अगर आप ये व्यवस्था सुनिश्चित कर सकेंगे कि परीक्षण से पहले महालेखाकार और सदस्यों का भी संवाद हो जिससे भलीभांति सभी बातें वो समझ सकें और उसके आधार पर सदस्य परीक्षण को प्रभावी कर सकें।

जैसा कि आपका ध्यान आकर्षित भी किया है हमसे पूर्व में हमारे समिति के जो अध्यक्ष हैं, जितनी अवधि नीयत की गई है एक बार सब्मिट होने के बाद में सिक्स मंथ में रिप्लाई करना होता है डिपार्टमेंट को पर ऐसा पिछले चार साल से मैं भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हूं उससे पहले पाँच साल पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी में था, ऐसा एक भी अवसर मेरी जानकारी में नहीं है कि जब गवर्नमेंट के किसी भी सेकेट्री ने विदिन टाइम रिप्लाई पेश किया हो और मैंने खुद ने भी कई बार चेयरमेन की गैरमौजूदगी में परीक्षण किये हैं तो ये लापरवाही, उदासीनता लगातार बनी रहती है और माननीय मुख्य सचिव ने इस तरह के आदेश भी निकाल रखे हैं कि हर डिपार्टमेंट में एडिश्नल एचओडी जो हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट है वो नोडल ऑफिसर होना चाहिए लेकिन इस सबके बावजूद सरकार के स्तर पर कोई प्रभावी मॉनीटरिंग नहीं होती, जवाब देने में बहुत शिथिलता और उदासीनता रहती है और ईवन यह भी मैं कहना चाहूंगा कि अध्ययन में भी बहुत कमी है। कई बार तो ऐसी स्थिति बनती है कि आप पूरे दो घंटे पूछते रहे और कोई जवाब नहीं आता या कोई रिलेवेंट जवाब नहीं होता, रिलेवेंट जवाब नहीं दे पाते और ये सब स्थितियां इसलिए बनी हैं कि हमने विधान सभा के प्रभाव को लगातार क्षीण किया है। हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है बल्कि पिछले नौ साल में एक लेजिस्लेटर के रूप में मैं यह देखता हूं कि विधान सभा के प्रति किसी किस्म की सीरियसनेश न तो मुझे गवर्नमेंट की दिखती है न ब्यूरोक्रेसी की। आप कितने ही संवेदनशील मामले में किसी भी रूल के तहत इश्यु लायें या तो इस बात की चेष्टा होगी कि वो विधान सभा के अंदर नहीं आये, उस पर चर्चा नहीं हो सके या इस बात की चेष्टा होगी कि उसका जवाब नहीं मिले

उसको किसी न किसी तरह गोल कर दिया जाए। ईवन, मैं इसलिए थोड़ा ईतर भी कहना चाहता हूं कि 131 जैसा इश्यु भी है तो उसमें भी सरकार के मंत्री की यह अपेक्षा रहती है कि इसको लंबा करो। विधान सभा निपट जाएगी उसके बाद जवाब नहीं देना। तो पूरी तरह से मैं यह मानता हूं हो सकता है मेरी बात बुरी लगे माननीय अध्यक्ष को भी हो सकता है बुरी लगे लेकिन मैं यह मानता हूं कि विधान सभा के जिस स्वरूप की कल्पना की गई थी कि ये लोगों के प्रति, लोगों की आकांक्षाओं के प्रति एक जवाबदेह जिम्मेदारी निभायेगा उसमें लगातार क्षीण हुआ है, यह बहुत खेद का विषय है और इसको प्रभावी बनने के लिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो भी नियम इस असेंबली की कमेटी ने बनाये हुए हैं उन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। यह सही है कि पिछले विगत कई सालों के अन्दर 15 साल में नियमों में प्रावधान होने के बाद भी विधान सभा की साठ बैठकें नहीं हुईं। यह भी सही है कि पिछले कई साल से नियमों में प्रावधान होने के बावजूद कोई कोरपोरेशन विधान सभा में डिस्कस नहीं होता चाहे रोडवेज हो, चाहे किसी और तरह के कारपोरेशन हों, रूल्स में प्राविजन है पर कोई भी डिस्कस नहीं होता। ये सब हम खुद लेजिस्लेटर विधान सभा की स्थिति को उस तरफ ले जा रहे हैं कि इसके प्रति लगातर गैर जवाबदेही बढ़ रही है।

आप सब जानते हैं हम लोग प्रश्न लगाते हैं हमारे बहुत से विधायक साथी बैठे हुए हैं जिनकी बहुत रुचि भी है, कितने प्रश्नों के जवाब आते है? आज इतना परिवर्तन पार्लियामेंट ने महसूस किया कि सूचना के अधिकार का कानून बनाया । आज एक सामान्य नागरिक तीस दिन में जवाब ले सकता है तीस दिन में नहीं मिले तो फर्स्ट अपील करके साठ दिन में ले सकता है और उसके बाद भी नहीं मिले तो कम से कम नब्बे दिन में तो मिल ही जाता है । आप और हमारी स्थिति यह है कि लेजिस्लेटर होने के बावजूद दो-दो साल तक जवाब नहीं मिलता है तो अगर यही हमको करना है ठीक है ये बैट जो हमको मिला है यह बहुत बढ़िया एचीवमेंट हो सकता है पर अगर वास्तव में कोई कार्यवाही करना चाहता हो तो जो रूल्स बने हैं उस रूल्स को प्रभाव रूप से फालो करेंगे उसके अन्तर्गत आपको सख्त होना पड़ेगा और जो मिनिस्टर जवाब नहीं देते हैं उनको किसी न किसी रूप में आपको प्रताड़ित करना पड़ेगा तब तो ये राजस्थान के सर्वोच्च सदन के प्रति लोगों की भी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बनी रहेंगी अन्यथा व्यवस्था जो चल रही है वो तो चल ही रही है। धन्यवाद।

उद्घघोषक: और कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें...? डॉ. सी.एस. बैद।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): आदरणीय अध्यक्षजी, राजस्थान विधान सभा, विधायक साथीगण, अधिकारीगण ये जो जवाबदेयता है इसके बारे में जब मैं सोचता हूं कि जवाबदेही किसकी है, हमको जनता चुनकर भेजती है और माननीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन के अंदर ये कहा कि जो जनप्रतिनिधि होता है जिसको जनता चुनकर भेजती है वो जनता की आकांक्षाओं का, जनता की भावनाओं का प्रतिबिंब होता है बिलकुल सही है प्रतिबिंब होता है। अब जवाबदेही जनता ने तो आपके ऊपर इम्पार्ट कर दी, जनता ने आपको कह दिया कि आप हमारे जन प्रतिनिधि हो और हमारा काम सुचारू रूप से चले उसके लिए आप जिम्मेदार हैं और जब आप जिम्मेदार हैं तो जवाबदेही आपकी हो गयी। अब जब हमारी जवाबदेही हो गयी तो हमारी जवाबदेही का रक्षक संविधान के अन्तर्गत कौन है।

आज मैं आपको दो तीन छोटी-छोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्षजी भी यहां विराजमान हैं विधान सभा के अन्दर जो सवाल एक विधायक होने के नाते जो विशेषाधिकार आपको मिला हुआ है उस अधिकार के तहत जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का, अगर वो प्रश्न लिस्टेड हो गया तब तो उसका जवाब ट्वेंटी फोर ऑवर्स के अन्दर जिस दिन वो लिस्ट हुआ उस दिन आ गया। अगर वो प्रश्न लिस्टेड नहीं हुआ तो मुझे इस चीज का बहुत एतराज है कि उस सवाल का जवाब 6 महीने बाद जब अगला विधान सभा का सत्र शुरू होता है तो उसके तीन दिन पहले उसका जवाब आता है जबकि हिन्दुस्तान के आम नागरिक को आरटीआई सूचना के अधिकार के अन्तर्गत ये अधिकार है कि 15 से 20 दिन के अन्दर उसके पूछे गये सवाल का जवाब मिल जाता है तो फिर एक विधायक होने के नाते हमारा सवाल पूछने का और जानकारी हासिल करने का क्या अधिकार रहा। जब हमारा अधिकार ही नहीं रहा तो हम आवाज कैसे उठायेंगे। दूसरी चीज आप अलग-अलग डिपार्टमेंट के अन्दर अलग-अलग तरह के कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जब ये प्रश्न, जब सीधा सा प्रश्न है, आज चार साल व्यतीत होने के उपरांत यदि हम यह पूछें कि सरकार ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 120 विधायक देकर राजस्थान की जनता का सुशासन करने का एक मौका दिया तो हम यह जानना चाहते हैं, राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है कि क्या-क्या वादे, क्या-क्या आश्वासन, क्या-क्या घोषणाएं सरकार द्वारा कब-कब की गई, इन घोषणाओं का क्या परिणाम हुआ, इन पर कितनी प्रगति हुई है और इन पर कितना वित्तीय प्रावधान रखा गया और कितना बजट इनके ऊपर खर्च हो गया, कब तक ये योजनाएं पूरी हो जाएंगी, यदि नहीं पूरी हुई तो क्यों नहीं पूरी हुई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और अगर नहीं पूरी हुई तो आगे आने वाले समय के अन्दर कब तक ये पूरी कर ली जाएंगी? मुझे दुःख है

यह कहते हुए कि इतनी पारदर्शिता तो किसी भी सरकार में होनी चाहिए चाहे कोई भी पार्टी की हो कि जनता के द्वारा जो जानकारी चाही जाती है जो विधायकों द्वारा उसका सही तरीके से जब तक जवाब, उसका जवाब क्या आता है कि घोषणाएं पूरी हो गईं, जानकारी एकत्र की जा रही है आगे आने वाले समय में बता देंगे। तो जनता कैसे जाने आपने क्या किया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि उसने कुछ किया या नहीं किया। हो सकता है कई ऐसे अच्छे काम होंगे वो भी जनता जानना चाहेगी। तो ये जवाबदेही तब इम्प्रूव की जा सकती है जब संविधान के तहत जो कानून कायदे आपने बनाये हैं उन कानून कायदों के अन्तर्गत जनता को सही समय पर सही तरह का जवाब उपलब्ध कराया जाए।

एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि मैं ऐसे एरिया से आता हूं जो ग्रामीण एरिया है हण्ड्रेड परसेंट। आपने योजना बनाई, योजना बनाने के बाद में उसकी कितनी क्रियान्विति हुई, किसी को नहीं पता और एक गरीब अनपढ़ आदमी जिसको अपने अधिकारों को भान नहीं है वो पीड़ित होता रहता है उसके लिए जानकारी कौन उपलब्ध कराये । आज कोई राशनकार्ड नहीं मिला, कब तक राशनकार्ड बन जाएंगे, बीपीएल की सूची कब तक जारी हो जाएगी, मेडिकल रिलीफ कार्ड कब तक बन जाएगा, राशन का वितरण कब तक हो जाएगा, हमारे गांव के अन्दर कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कितना पैसा केन्द्र सरकार से आया, कितना राज्य सरकार से आया, किस योजना के अन्तर्गत कितना काम हुआ, जब तक इन सारी चीजों में पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि केन्द्र सरकार द्वारा बहुत प्रयत्न किया जा रहा है पारदर्शिता बरतने का और उसी तरह से पारदर्शिता हर सरकार को बरतनी चाहिए जिससे अपने देश का एक आम नागरिक उसके आधार के ऊपर ये जान सके कि मेरे गांव में मेरी ढाणी के अन्दर आगे आने वाले समय में सरकार की किस योजना के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान के अन्तर्गत क्या-क्या काम होने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं छोटी सी चीज बताऊं कि इंदिरा आवास वो आवास जो सबसे गरीब आदमी को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उसके अन्दर केन्द्र सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया कि पंचायत की दीवार के ऊपर उनको ये चस्पा करना पडेगा कि अगल पाँच साल के अन्दर किस-किस व्यक्ति का इंदिरा आवास बनना है जिससे कि उसके अन्दर बेईमानी नहीं हो सके। ऐसी ही पारदर्शिता सरकार द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न स्कीम्स के अन्तर्गत बरती जाए तो हम जो लाभ जो इतने पैसे का करोड़ों रुपये, अरबों रुपये खर्च हो रहे हैं शहर के अन्दर भी गांव के अन्दर भी उसका लाभ एक आम आदमी को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है ये सुनिश्चित कर पाएंगे और माननीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन के अन्दर मैंने बड़े गौर से सुना, इन्होंने सही कहा कि हम जो

प्रतिबिंब बनते हैं जनता का उस प्रतिबिंब को सही रूप से किस तरह से हम जनता के बीच में प्रस्तुत कर पाएं तभी जनता का भारत के संविधान में विश्वास बढ़ेगा, जनता को राहत मिलेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगी और हमारा देश और राज्य सशक्त होगा इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

उद्घघोषक: यदि और भी कोई माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट करना चाहें...?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष, विराजमान सभी सम्माननीय साथी विधायकगण एवं अधिकारीगण, सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, का धन्यवाद कि एक ऐसे गंभीरतम विषय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ और उसमें मुझे दो मिनट बोलने का आपने अवसर प्रदान किया। लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार ही यही शब्द हैं जिन शब्दों के ऊपर ये कार्यशाला आयोजित है। आज जवाबदेयता की स्थिति ये बन गई है कि हम अगर किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उस मुद्दे को गौण कर दिया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चयनित होने के साथ में, चुनाव होने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद में हर जनप्रतिनिधि का अधिकार समान होना चाहिए। लेकिन आज वो स्थिति बदलकरके महज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की स्थिति बन गई है। हम कोई भी मुद्दा अगर उठाते हैं अगर हम प्रतिपक्ष से संबंधित हैं तो उस मुद्दे की गंभीरता वहीं समाप्त हो जाती है बल्कि कुछ जगहों पर तो ये तक देखने में आया कि आपका मुद्दा बहुत गंभीर था लेकिन क्योंकि आप प्रतिपक्ष के हैं इसलिए आपने उठाया तो उसको वहीं दबा दिया गया।

इसी के साथ-साथ जहां कहीं पर भी आज हमारा सर्वोच्च सदन है विधान सभा बड़ी आशा के साथ में हमारे को हमारा मतदाता यहां चुन कर के भेजता है। हम बड़ी संजीदगी के साथ वहां अपनी बात रखना चाहते हैं। मेरे से पूर्व मेरे साथी सदस्यों ने इस बात को फरमाया मैं उसी बात को दुहराना चाहता हूं और माननीय सीएस बैद साहब ने जो कहा उसको थोड़ा स्पष्ट भी करना चाहता हूं स्टार क्वेश्चन एनलिस्ट हो जाने के बाद में जरूरी नहीं है कि उसका जवाब आएगा हम फिर भी डिपेंडेंट हैं संबंधित विभाग कि ऊपर वो अगर जवाब देना नहीं चाहेगा तो वो उस दिन एक चिट्ठी लेकर के आ जाता है और क्वेश्चन को पोस्टपोन करने की रिक्वेस्ट ले आता है। इस बात की जिम्मेदारी कहीं पर भी नहीं बनती कि उनसे ये पूछा जाए कि आपने ये क्वेश्चन पोस्टपोन करने की एप्लीकेशन दी है तो क्यों दी है या आज ये इश्यु था, इस इश्यु पर लेट आपका अगर जवाब आ रहा है या जवाब नहीं आ रहा है तो ये क्यों नहीं आ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अधिकांश जवाब है वो अपूर्ण की स्थिति में होते हैं या उनका जवाब घूमा फिराकर दिया जाता है उसके लिए हम प्रश्न एवं संदर्भ समिति के मुंह को देखते रहते हैं लेकिन हमारी स्थिति यह रहती है कि हम उस

मुद्दे के ऊपर उस स्पष्टता के साथ जानकारी नहीं प्राप्त कर पाते जिसका कि हमारे को अधिकार मिला हुआ है।

कैलाश/अरुण 9.10.07 15.00 (1) 2a

इसी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी आज विकास की योजनाओं के ऊपर चर्चा होती है अधिकारीगण चर्चा भी करते हैं तो उसके दो रूप होते हैं । एक रूप होता है जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी मजबूरी वश आमंत्रित किया जाता है उनके साथ की बैठक और दूसरी अधिकारियों के साथ स्वयं की बैठक । मुख्य मुद्दा खानापूर्ति का एक जगह होता है और गंभीरतम चर्चाएं अपने स्तर पर वह दूसरी जगह करते हैं । आज जिस तंत्र की जवाबदेयता बन रही है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति उसको गौण किया जा रहा है । आपने बहुत सही फरमाया था कि विधान सभा की कार्यवाही ज्यादा से ज्यादा चले लेकिन स्थिति का ताजा उदाहरण हमारे सामने हमारा गत सत्र है जो महज खानापूर्ति का होकर रह गया । लंबे से लंबे अगर सत्र चले तो बहुत से ऐसे मुद्दे निकल कर आये । अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज विधायिका को भी आप इसके लिये ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड करें । आपने पहले भी इसके लिये प्रयास किये हैं । हम वैल इक्युप्ड होंगे तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से मुद्दों को भी उठा पायेंगे । आज टैक्नोलोजी का जमाना है हम किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा पाये इसके लिये आपने अपनी तरफ से वर्कशाप भी आयोजित की जिससे हमारा हर विधायक आज के समय के हिसाब से अपने स्तर पर भी जानकारियां जुटा कर ज्यादा अच्छे मुद्दों को उठा सके । यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि मुख्य मुद्दा यही है कि आज के इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासनिक वर्ग की जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का बखुबी उनकी तरफ से निर्वहन किया जाये इसके लिये हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करें और आपसे इसका पूरा संरक्षण मिलता रहे । बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे मौका दिया ।

उद्घोषक: माननीय श्री हरिमोहन जी शर्मा ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सम्माननीय राजस्थान विधान सभा की अध्यक्षा, सम्माननीय प्रतिपक्ष के नेता, यहां पर विराजे हुए दोनो पूर्व मुख्य मंत्री महोदय, फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन साहेबान, विधायकगण और अधिकारीगण आज के इस विषय पर मैं दो तीन बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं । व्यक्ति के काम करने की कार्य कुशलता पर समितियों का कार्य निर्भर करता है । अगर फाइनेंशियल कमेटी के जो चेयरमैन हैं वह काम करना चाहते हैं, उनका वीजन है, उनका सोच है तो उसके आधार पर उस कमेटी की काम करने की क्षमता एक

अलग ढंग से दृष्टिगत होती है और एक ऐसे स्थान पर जहां आप मेरे जैसे या किसी भी व्यक्ति को बैठा दे और न वीजन हो, न सोच हो न काम करने की क्षमता हो तो वह कमेटी फाइनेंशियल कमेटी होने के बावजूद भी वह इफेक्टिव रोल नहीं कर सकती जो इफेक्टिव पर्सन के द्वारा उस समिति में किया जा सकता है । एक तो मेरा विनम्र अनुरोध आपसे यह है कि जब कभी भी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन बनाने का प्रश्न हो और इसके लिये जो भी प्रक्रिया हो काम्पीटेंस के आधार पर उन लोगों को निर्णय करना चाहिये ताकि इफेक्टिव ढंग से यह फाइनेंशियल कमेटी काम कर सके।

श्री अध्यक्ष: इन चारों में कोई अक्षम भी है क्या जिसको बना रखा है ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यहां इन चार के संदर्भ में बात नहीं हो रही है साहब यह पूरे देश के संदर्भ में बात हो रही है ।

श्री अध्यक्ष: अच्छा अच्छा ठीक है। सोरी ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो कमेटी के चेयरमैन हैं वह पावरलैस है । केवल चेयरमैन है इसके अलावा उनका कोई भी अधिकार क्षेत्र नहीं है जिसमें वह कुछ कर गुजर सके । आज की तारीख में जो जवाब देने में डिले होता है, प्रश्न बना दिये जाते हैं और प्रश्न दे दिये जाते हैं प्रश्न देने के बाद लगातार उनके जवाबों में डिले होता रहता है और डिले होने के बाद उस चेयरमैन को कोई अधिकार नहीं है कि कोई एक्शन उस अधिकारी के खिलाफ ले सके । अगर आप उसको इस बात का अधिकार दे देंगे तो जो अधिकारी है वह समय पर अपना जवाब देंगे, प्रोपर तैयारी के साथ आयेंगे तो इस प्रकार का इफेक्टिव अधिकार फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन को दिया जाना चाहिये । हम सभी चाहे वह सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो अनेक ऐसी बातें वित्तीय समितियों के साथ भी ऐसी बातें आती हैं कि घोषणा होने के बाद, बजट प्रावधान होने के बाद सारी व्यवस्थाएं होने के बाद, आदेश प्रसारित करने के बाद, वित्तीय स्थिति सुदृढ होने के साथ साथ धन उपलब्ध होने के बावजूद भी उन गरीबों के प्रति समर्पित योजनाओं का लाभ घोषणा करने के एक साल बाद भी नहीं उठा पाते और इस पर कोई प्रिवेंटिव चैक नहीं है । मैं बीपीएल का उदाहरण आपको देना चाहता हूं । बीपीएल परिवार की दिसम्बर, 06 में घोषणा हुई 17 लाख 36 हजार परिवार ग्रामीण क्षेत्र में कर दिये । आज तक न तो उनको बीपीएल कार्ड बन पाये, न समितियां देख पाई, न सरकार देख पाई न उनका मेडिकल रिलीफ कार्ड हम बना पाये । वित्तीय प्रबन्धन होने बाद प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह इन गरीबों के प्रति समर्पित योजनाओं को समय पर योजनाबद्ध ढंग से पूरा करें । इसको न विधान सभा देख पाती है, न इसको सरकार देख पा रही है, न इसको विधायक देख पा रहे हैं और तार्किक जवाब सरकार की तरफ से या

जिम्मेदार अधिकारी की तरफ से आज तक सार्वजनिक रूप से इन बातों का जवाब सालभर में भी यह अधिकारीगण, यह सरकार और यह विधायकगण जनता को नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसे क्या कारण है कि घोषणाएं होने के बाद, वित्तीय प्रबन्धन होने के बाद मेडिकल रिलीफ कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं । उनके बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बन रहे हैं, उनको गेहूं क्यों नहीं मिल रहा है, इनका इलाज क्यों नहीं हो रहा है । यह जो व्यवस्थाएं हैं इन व्यवस्थाओं को देखने का कारगर अधिकार इन कमेटियों को होना चाहिये ताकि प्रभावकारी रूप से हम जिसके लिये बजट पारित करते हैं, जो बजट उपलब्ध कराते हैं उसका कारगर इम्प्लीमेंटेशन हो और नहीं होने पर जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसके खिलाफ कारगर कार्यवाही हो ऐसी व्यवस्थाओं का अधिकार इनको होना चाहिये । माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद ।

उद्घोषक: माननीय राव राजेन्द्र सिंह जी ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह(बैराठ): I will make it a little informal.

1861 was the year when PAC was recommended by the then British Chancellor and replicated in basically all Commonwealth countries.

Now the issue behind deliberating on this is responsibility. Which elected government on paper is not a responsible government? In 50 years of our Independence, various governments have come and gone. Statistics always show that government's performance has been very good but when you go back to the people, when the accountability comes to be tested, the result shows a different scenario altogether. So the highest basic accountable forum is the Legislature. Legislature is accountable to the people at large. What you do is reflected on the people. Now what you perform on paper is not that important, but what people get from you, what feeling they form about you, that is more important. And that is where the crux of the entire liability lies.

How do you go about it? We perform, any common human being performs to the best of his ability but is there a system in place to deliver the goods? How do you do it? Any wise man is going to ask you 110 questions. Are we are in a position to give even 10 decent replies, devoid of truth? Synthetic fabrication is unavoidable because we have to adhere to certain formalities which the system has created.

As per the archives of the Parliament, 98% of the PAC's recommendations at the Government of India level have been accepted. 67% of the recommendations have been adopted to

the extent of even deliberation. There is still chance of improvement. Improvement is a continuous process. Governance today is the best form in a democratic set up. The democratic governance comes from the Legislature.

As an individual, I would like to ask you, Hon'ble Speaker, we are responsible to the people, people send us here to discuss their issues on the floor of the House. How many times do we meet? We don't have time to deliberate upon their things! And then we talk about good governance! Our basic responsibility is not to first see who is the Executive, our basic responsibility is to discuss the issues which the public want us to discuss. We hardly meet for 60 days in a year, the minimum mandatory period provided in the rules. That means, we have to adhere to it. Why can't we meet more often? Why can't we discuss these issues more often? Why can't we deliberate over these issues more often? And then accountability should be brought into question. My responsibility towards my people is to discuss their issues on the floor of the House but how many times do we meet on the floor of the House? I mean, pointing fingers at 110 other people ... the bureaucracy may be high-handed, but we have made the bureaucracy high-handed because we have not been responsible to our own mandate. The mandate of the people is to meet and discuss their issues and find solution. Resolutions passed on papers are not enough. The resolution should be executed at the ground level. It is the main gist of it.

I would say, deliberation, I don't know how you go about it, but we, with our experience and gained wisdom, should meet more often and our accountability stands to be questioned there. When we start meeting, we will start deliberating; when we start deliberating, we will pass resolutions; and when we pass resolutions, we will adhere to their execution.

Thank you very much.

उद्घोषक: पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जगन्नाथ जी पहाडिया साहब ।

श्री जगन्नाथ पहा़डिया (बैर): विधान सभा की माननीय अध्यक्षा जी, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री माथुर साहब, साथी विधायकगण, अधिकारीगण मुझे बहुत खुशी है कि इस मौके पर जब आपने चाहे एक दिवसीय ही सही इस सेमीनार का आयोजन किया । मैं भी दर्शक के रूप में आपके बीच में हाजिर हो सका । अच्छा तो यह होता कि आप इस सेमीनार को जयपुर के बाहर करतीं जिससे कि पूरा कंसंट्रेशन उसी में होता और सेमीनार चूंकि एक ही दिन की है जिसमें आपने सब्जेक्ट स्पेसिफाई तो कर दिये जवाबदेयता तंत्र को और सुदृढ

करने तथा सुशासन की ओर एक कदम । अब यह दोनों विषय इतने गहन है जिसके बारे में अलग अलग लोग अपनी तरह से विचार जाहिर कर सकते हैं ।

ans/akt pac 15.15 09102007 2b

जवाबदेयता की रेस्पोंसिबिलिटी कह सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी कह सकते हैं। आपने मान लिया शासन आपका सुशासन है, एक कदम नहीं आगे बढ़ना है, यह बात अपनी जगह सही भी हो सकती है, हमारे कुछ लोग ऐसे मानने वाले हो सकते हैं चाहे विपक्ष के नाते ही सही शासन तंत्र जिस तरह से चलना चाहिए उसमें एक नहीं अनेक कदम उठाने की आवश्यकता है। मैं इसलिए अपने आपको सीमित नहीं रखना चाहता राजस्थान विधान सभा के इस परिसर तक। सबसे पहले तो हम देखे कि जो हमारे विधान के प्रजातंत्र के तीन स्तम्भ है चौथा भी मान ले मीडिया, क्या उसको ठीक तरह से समझ पाये,। मुझे क्षमा करें ऐसा लगता है लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेटिविंग, ज्यूडिशयरी, और मीडिया चारों को एक साथ बिठाने की आवश्यकता है जब तक एक साथ नहीं बैठेगे और एक दिन के बजाए, एक दिन से अधिक नहीं बैठेगे तब तक एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। इस विषय को समझना और प्रचार करना तो बहुत कठिन है ही क्योंकि कौन किसके लिए जिम्मेदार है, कितनी जिम्मेदारी को कौन निभा रहा है शुरूआत तो ऊपर से ही होगी। आज तो ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे को समझने तक, हमें नीचे जाना पड़ेगा जिला परिषद, पंचायत तक लेकिन एक दूसरे की जिम्मेदारी को दसूरे पर थौंपना, मेरे जैसे लोगों की आदत पड़ सकती है क्योंकि हम विरोध में है लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केवल विरोध पक्ष में होने के नाते नहीं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो कुछ इस देश में, राजस्थान में हो रहा है उसको हम देख रहे हैं और ऐसा लगता है कि हमको इसको बहुत गहनता के साथ में, गम्भीरता के साथ में लंबे समय तक बैठकर इस पर विचार करना चाहिए इसलिए मेरा सुझाव जो मैंने आपको निवेदन किया कि जयपुर के बजाए अन्य जगह आप करें अगली मीटिंग,अगली मीटिंग जब आप करें एक के बजाए दो या तीन दिन करें। उसके साथ साथ मेरा सुझाव यह है कि विभिन्न अंगों के विभिन्न व्यक्तियों को जो समय दे सकते हैंजिनको समझ हो उसमें मिला जुलाकर मीडिया के लोग भी हो,ज्युडिशियरी के लोग भी हो। मैं ज्युडिशियरी की बात इसलिए करता हूं कि ज्युडिशियरी के बारे में ऐसा सोच हमारा बन गया कि उन्होंने अपने आपको सुप्रीम मान लिया है। होना चाहिए सुप्रीम लेजीस्लेचर को और उसके साथ -साथ काम करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिविंग को। लेकिन अब तो ऐसा लगता है ज्युडिशियरी ने सबको बेकार मान लिया है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनको भी साथ बिठा लें और

कोई एक दिन ऐसा निकाले कि वह भी अपने विचार जाहिर कर सके। कभी कभी ऐसा होता है,मेरे मन की कुंठा है शायद नहीं भी हो सकती, कि ज्युडिशियरी वालों के मन में कुंठा रहती है कि हम सब अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं उनको मौका नहीं मिलता। जबकि हमको ऐसा लग रहा है कि वह अपने तरीके से अपने विचार पूरी तरह से व्यक्त करते हैं। फैसले में करते हैं। हम तो ओफिशियल करते हैं,अनओफिशियल करते हैं वो तो अनओफिशियल कहते कहते ही ओफिशियल कर जाते हैं,ओफिशियल कहते कहते अनओफिशियल भी कर जाते हैं। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि इस तरह का समन्वय करके आप एक सेमीनार करने की कृपा करें।

दूसरा मेरा निवेदन करना है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी दूसरो पर थौंपते रहते हैं। छोटा अफसर बड़े पर,बड़ा अफसर उससे बड़े पर, वह उससे बड़े पर और बड़े वाला इतना हाइहैस्ट जगह पर होता है वह अपने से छोटे पर, उससे छोटे पर, उससे छोटे पर इसकी भी कोई जवाबदेयता बननी चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा कौन व्यक्ति जिम्मेदार है। मैं उसको नहीं दोहराना चाहता मैं जानता हूं इससे पहले काफी लोगों ने कह दिया। एक व्यक्ति की, अब आप सीमित रखे, रिटायर हो जाता है उसके बाद उसकी अकाउण्टेबिलिटी पर चर्चा होती है। हमारे सामने ऐसे फंदे आये हैं जो दुनिया में ही नहीं रहा, चाहे रिटायरमेंट लेकर चला गया, बिना रिटायर होकर चाला गया आज वह क्या तो जवाब देगा और उससे आप क्या लेंगे। मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं एक लाउडस्पीकिंग के तौर पर कह रहा हूं कोई अफसर जब चला जाता है उसके खिलाफ तो आप कार्यवाही कर नहीं सकते लेकिन उस अफसर को जो बेनिफिट मिलता है, मरने वाले को, उसके परिवार वालों को क्या उसको भी इसमें शामिल किया जा सकता है, मर जाए तो सारी प्रोपर्टी परिवार वालो की हो जाती है लेकिन अगर कोई जिम्मेदारी है तो उसको कोई निभाने को तैयार नहीं होता। इसलिए यह तय करना पड़ेगा कि जिस अफसर ने गलती की है, मैं मानता हूं कि कई अफसर आज सोचते हैं, अफसर को तो कह दिया मिनिस्टर का क्या होगा,विधायकों का क्या होगा, आप चाहे तो उन पर भी जिम्मेदारी तय कर सकते हैं हालांकि दुबारा सबको चुनाव लड़ना होता है इसलिए विधायकों को तो यह आवश्यकता हो जाती है,सांसदों को आवश्यकता हो जाती है कि कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो निभाए लेकिन मुश्किल में तो तब पड़ जाते हैं जब आपके कानून कायदे हमारी समझ में भी नहीं आते हैं। हमें समझने की कोशिश नहीं करते होंगे और आप करते होंगे तो उसको फोलो करने की कोशिश नहीं कर सकते होंगे। यह विधायकों की, सांसदों की एक मजबूरी हो सकती है लेकिन अफसर साहेबान को चाहिए कि जो नियम जिस तरह का है जो कानून जिस तरह का है उस कानून को उसी तरह से निभाने की कोशिश करें।

मेरे पहले, अपने तरीके से उदाहरण दे दिया गया। बीपीएल कार्ड बने, अव्वल तो बनते ही नहीं बन जाते हैं तो जिस तरह से बनते हैं,बहुतायत तो अच्छे ही होते होंगे मैं सबको बुरे नहीं कहना चाहता। अध्यक्ष जी, उदाहरण ऐसा भी है जो कि उसके पात्र ही नहीं है और सिफारिश के, बिना सिफारिश के उनको पात्रता दी गई1 मैं एस.एम. एस. हास्पिटल के पास रहता हूं वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं। अधिकांश तो अच्छे ही आते होंगे लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति जो उसके पात्र होने लायक किसी हालत में है ही नहीं सामाजिक दृष्टि से नहीं है,मैं कहता हूं आर्थिक दृष्टि से नहीं है लेकिन उनको पात्रता मिल जाती है। कई लोग जिनके पास कल खाने को भी नहीं है उनके कार्ड नहीं बने। हम पूछते हैं बीपीएल का कार्ड लाये हो क्या, तो कहते हैं साहब कार्ड मेरा बना ही नहीं,मैंने कहा तुम्हारा हीं बनेगा तो किसका बनेगा, बोला कि साहब मेरा तो नहीं बना, मैं तो सरपंच के पास भी हो आया,बीडीओ के पास भी हो आया। आप एसडीएम के पास नहीं गये तो बोला साहब मैं जानता ही नहीं एसडीएम साहब कौन है। ऐसे जो व्यक्ति है उनकी जिम्मेदारी तो लोअर लेवल पर जिसकी है, एक उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, ऐसे अनेक मामले है उनको तय करना पड़ेगा। मैं आपका बहुत समय लेना नहीं चाहता मैंने जो सुझाव दिये मैं आशा करके चलता हूं अगली बार जब भी आपको मौका मिले तो इसको समन्वय करने की कोशिश करें। आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद।

उद्घोषक: श्री रामप्रताप जी कासनिया।

श्री अध्यक्ष: बीच के आदमी का भी बोलना आवश्यक है।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सभी समितियों के अध्यक्ष महोदय, विधायकगण, अधिकारी गण, अध्यक्ष महोदय, आज का यह समारोह आपने हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए रखा हे इसके लिए मैं किन शब्दों में आपकी प्रशंसा करूं वह शब्द मरे पास उपलबध नहीं है1 मोटे रूप में आज के इस कार्यक्रम में शासन की जवाबदेयता तय करना और सुशासन की और एक कदम। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा के अंदर जितनी भी समितियां है इन समितियों में कम से कम, मैं अपने ऊपर लेकर कहता हूं, इसको कोई विधायक अदरवाइज नहीं लें हम मस्टरोल भरने का काम करते हैं इन समितियों के अंदर। जब हम स्वंय जागरूक नहीं है, हमारे अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है । हमें इन समितियों के अंदर जिस तरह से अपनी बात तैयारी के साथ रखनी चाहिए उस तरह से हम नहीं रख पाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते। बहुत से लोग तैयारी करके भी आते हैं। वह अपनी बात भी रखते हैं लेकिन जब उनका कोई परिणाम नहीं आता तो आखिरी में वह भी मस्टरोल

भरकर चले जाते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैरे को पता नहीं किस तरह के नियम है, किस तरह के कानून- कायदे हैं पर मैं एक बात अच्छी तरह से समझता हूं कि जितना हम इन बैठकों के आयोजन पर खर्चा करते हैं, सरकार का पैसा भी खर्च होता है और परिणाम, अब अध्यक्ष महोदय मेरी समझ में नहीं आता नियम कौन बनाएगा। हमारे यहां कोई राष्ट्रपति शासन तो है नहीं। मुख्यमंत्री जी है, सरकार भी है, विधायक भी हे, ब्यूरोक्रेसी भी है। नियम बनाने का काम विधान सभा करती है राजस्थान के और केन्द्र में लोकसभा करती है। जो भी कोई कानून में अड़चन है उसमें चीरा लगाओ और संशोधन करो। बहुत से पढ़े लिखे मंत्री भी है, विधायक भी है,अधिकारी भी है। वर्षों का ढर्रा जो अंग्रेजों के जमाने में कोई नियम बन गया हम ढोये फिर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि कि आज के समय में इस प्रजातंत्र के अंदर मैंने दो बातें देखी है। एक तो काम कह दो, नियम लागू करवाने की बात कह दो। एक तो होती है सत्ता और एक है हैकड़ी। हैकड़ी से भी मैंने काम होते हुए देखा है,बिना नियम के हैकड़ी से।

श्री अध्यक्षः राठौड़ी, राठौड़ी।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): राठौड़ी कह दीजिए हैकड़ी कह दीजिए पर अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के अंदर यह हैकड़ी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है इसलिए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। अगर कोई हैकड़ी यूज करता है तो वह मजबूरी में करता है। तो मेरे जैसा सीधा साधा आदमी विधान सभा में आये, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूरा करना चाहूंगा कि इस विधान सभा का हर सदस्य चाहे कितना भी कमजोर हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो नियमानुसार उसकी जो जो बात है वह मानी जानी चाहिए। चाहे सत्ता में एक मंत्री कहे, चाहे एमएलए कहे एज पर रूल जो बात मानी जानी चाहिए वह उसकी कमजोर आदमी की भी मानी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो इस प्रांत में इस देश में एक परम्परा है ब्यूरोक्रेसी में, मैं नाम तो, इतनी दुश्मनी तो नहीं लेना चाहूंगा पर मोटे मोटे रूम में प्रोटोकोल में कोई कमी नहीं आयेगी कोई भी काम के लिए यस सर, दिखवाता हूं सर यह नहीं कहेंगे, यह काम हो जाएगा, नहीं होगा इस तरह की भाषा इस राजस्थान में तो कम से कम नहीं है। कोई भी काम नियमानुसार नहीं होने वाला है तो आप उसको दो टूक मना कर दे कि नहीं होगा यह जूते घिसाने की जो प्रथा है यह भी सुशासन की एक कड़ी है, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। दिखवाना, दिखवा लेंगे इसमें क्या रखा है, जो नहीं होने वाला है वह नहीं होने वाला है। छह-छह महीने तक चक्कर लगवाना, आये दिन चक्कर लगा लगाकर थक जाना, ज्यादा तो मैं विद्वान नहीं हूं पर मुझे एक चीज जरूर महसूस

होती है कि इस प्रांत में, इस देश में जो पुराने कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन करने की आवश्यकता है, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। जयहिंद।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष जी, प्रतिपक्ष के नेता चौधरी साहब, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय माथुर साहब,पहाड़िया साहब, विधायकगण। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कुछ कमेटियां ऐसी है जिन पर खास तौर पर मोनीटिरिंग होना भी जरूरी है। आपसे निवेदन यह करना चाहूंगा कितने परीक्षण एक कमेटी ने किए आपको वह भी एक बार देखना चाहिए। कमेटी में खाली हाज़िरी करने के लिए नहीं आवे कमेटियों का वास्तविक परीक्षण भी करें और वास्तविक   परीक्षण होगा तो जो अधिकारी रोजाना यह बदल देते हैं, समय नहीं देते, क्वेश्चन का जवाब समय पर नहीं देते शायद वह समय पर आना शुरू होगा। दूसरा निवेदन और है कि कभी कभी आप भी मौके- बे मौके उन कमेटियों के परीक्षण के टाइम पर एक आध बार आये तो परीक्षण करने वालों को भी बल मिलेगा। वैद साहब, लोढ़ा साहब ने विधान सभा के क्वेश्चन की बात कही। पिछले सत्र में मैंने आपको भी एक पत्र लिखा था जिसमें 62 पत्रों के जवाब मेरे नहीं दिये गये थे। इस सत्र में मैंने एक क्वेश्चन के जरिये पूछना चाहा तो मेरे क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया, उसको जरा देखने की जरूरत है1 बहुत सारे सुझाव दे दिये गये हैं। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद जयहिंद।

उद्घोषक: राजकीय उपक्रमों से पधारे चेयरमैन साहेबान या सीएमडी साहब में से कोई बोलना चाहे।

श्री अध्यक्ष: विधायकगण ही बोल रहे हैं प्रशासनिक तंत्र के अधिकारी गण भी तो कोई बोले एक-आध। राजीव महर्षि तो बाद में बोलेंगे।

दुर्गा/चौहान 091007 1530 2e

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना): आदरणीय अध्यक्ष महोदया, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री रहे हुए आदरणीय माथुर साहब, दूसरी कमेटियों के चेअरमेन साहब, सदस्यगण, अधिकारीगण, मैं विधान सभा में प्रथम दफे चुनकर आया हूं। मैं इस विधान सभा में आपकी कृपा से प्रथम दफे चयन होकर आया हूं। पहले मुझे अध्यक्ष महोदय ने नियम समिति में सदस्य चुना था। जब मैं नये सदस्य के रूप में आया तो मैंने देखा कि इस कमेटी में तीन-तीन पूर्व मुख्य मंत्री हैं। मैं दंग रह गया कि इनकी इस नियम कमेटी में, जिसको मैंने पता लगाया, पहले तो मैंने पता लगाया कि कितनी कमेटियां होती हैं और क्या-क्या फंक्शंस उनके हैं। मैंने उनकी स्टडी की और जब मैं उस नियम कमेटी में गया तो मैंने देखा कि इस कमेटी में राजस्थान के तीन-तीन भूतपूर्व

मुख्य मंत्री हैं, मैं दंग रह गया कि इस छोटी सी कमेटी में तीन-तीन मुख्यमंत्रियों की क्या उपयोगिता है। मैं दंग रह गया। मैंने देखा यह कमेटियां विधान सभा से भी तगड़ी कमेटियां हैं। सच्चे अर्थों में मैं खुद महसूस करने लग गया, यदि मैं उस नियम कमेटी में रह जाता तो मैं सच कहता हूं आप सबके सामने कि मुझे महसूस नहीं होता कि विधान सभा क्या होती है। मैं तो जब कमेटियों में गया तो मालूम पडा कि कमेटियां ही सब कुछ हैं। और इसमें सारा लेखा-जोखा, पूरा स्वरूप है, जो यह कमेटियां ही हैं। और जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मुझे अध्यक्ष महोदया ने भेजा तो मुझे मालूम पडा कि इस राजस्थान का इतना पैसा, अरबों रुपये का पैसा, किस तरह सदुपयोग और किस तरह दुरुपयोग होता है। मुझे बड़ी तल्लीनता से और गइराई से पता लगा कि कौन-कौन सी सरकारों ने कितने-कितने पैसे की उपयोगिता को समझा कि नहीं समझा। मैंने इस बात को अच्छी तरह समझा कि पी.ए.सी. में जो लेखे-जोखे का जवाब आता है वह बहुत ही अधूरा आता है और जो सी.ए.जी. आक्षेप करते हैं, उसमें जवाब इर्ररेस्पांसिबल के रूप में आता है, हम कई दफे उनको टोकते भी हैं। वह, सर-सर करके, रह जाते हैं, अबकी बार इसका सही जवाब देंगे। मैंने यह महसूस किया पी.ए.सी. में माननीय अध्यक्ष महोदया, आप विद्वान व्यक्ति को भेजा करें। यह कोई छोटी-मोटी कमेटी नहीं है। इसमें राजस्थान के सारे अकाउण्ट्स का मामला होता है। मैं खुद महसूस करता हूं, तारीफ की बात नहीं है, यदि जोशीजी अध्यक्ष नहीं होते और हमारे बी.जे.पी. के 2-3, राव साहब बैठे हैं, और हमारे एक और बैठे हैं जो लॉ के जानकार, हमारे लूणी के विधायक, हम समझते हैं यदि ये नहीं होते तो यह कमेटी ही अधूरी रहती। इन सफेद आई.ए.एस. अफसरों को कौन समभाल सकता था। यह उल्टे-सीधे जवाब, मर्जी आये, जैसे जवाब, हमको हां में हां मिलवा देते, हम महसूस कर रहे हैं। हमने साल भर तो स्टडी की है कि हो क्या रहा है यह। फिर पता लगा कि कितने उल्टे-सीधे जवाब और जो यह कह दे, मैं बिना तारीफ के भी नहीं रह सकता जोशीजी, उस आदमी ने बड़ी स्टडी करके इनको जवाब दिया तो मैंने देखा कि यह कोई सवाल है इनका जिसको फुल अप-टू-डेट नॉलेज है। फुल नॉलेज वाला आदमी ही इस आई.ए.एस. लॉबी को कण्ट्रोल कर सकता है। मैंने इस बात को देखा। हम जैसे अनपढ़ आदमी, छोटी-मोटी इंग्लिश जानने वाले आदमी, अकाउण्ट्स के बारे में बिलकुल नहीं जानने वाले आदमी, मैं तो कहता हूं, हमारा ज्ञान ही बेकार है। इस प्रजातंत्र में, इस असेम्बली में, यदि अकाउण्ट्स को समझने वाले विधायक नहीं आयेंगे तो यह सरकारी अधिकारी किसी को हाथ नहीं धरने देंगे। यह मेरी मान्यता है। इसलिये मैं देख रहा हूं करोड़ों रुपये का इवेजन, हम कहते हैं, आने जवाब नहीं दिया, अबके दे देंगे, अबके नहीं दिया तो अबके दे देंगे। और हम कई दफे यह कहते हैं कि आपको

जवाब के लिये हम बार-बार लिख रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते हैं। कोई-कोई तो सात साल में जवाब देता, कोई आठ साल में जवाब देता। तब तक तो वह अफसर जिसके ऊपर एलिगेशन है, या वह अधिकारी जिसको जिम्मेदारी दी गई होगी, वह आदमी मर गया होगा या रिटायर हो गया, अब क्या लोगे आप, तो रहने दो, अब क्या है। इसका मतलब यह हुआ कि जनता का इतना पैसा, टैक्स का पैसा, करोड़ों रुपये यदि कोई खा जाए और आप दो मिनट में कहते हो, जाने दो, अच्छा, ठीक है, आगे चलो, आगे चलो। इतना जल्दी ओमिशन कर देना। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। हम कमेटी के मेम्बर, जिस दिन आते हैं, जिस दिन विषय पर डिस्कशन होता है तो हमको जो जवाब आता है, सी.ए.जी. का वह एन दिन आता है, और वह भी जवाब 200-300 पेज का। हम दिन पढ़ें तो नहीं पढ़ सकते हैं उसको। फिर हम यूं माथा लगाकर बैठ जाते हैं। रात को जोर लगाया तो सौ पेज पढ़ सकते हैं। मैंने इसकी स्टडी की है, फिर भी अधूरे पढ़ते हैं तो हमारे मन में गिल्टी होती है कि आज पूरा पढ़कर नहीं आये। क्या सवाल पूछेंगे। और जब हम जवाब पूछते हैं तो ये भी उसका जवाब क्या कहते हैं कि आज तो हम तैयार होकर नहीं आये। तो फिर जवाब तैयार हुआ कि नहीं हुआ, कलेक्टर साहब नहीं जवाब नहीं दिया, वह कहते हैं, उन्होंने जवाब नहीं दिया। वह एक दूसरे की बगलें झांकते रहते हैं। हमने बगलें झांकते हुए देखा। जवाब नहीं दे पाते हैं। ये भी स्टडी करके नहीं आते हैं। यह मेरी पक्की मान्यता है, अध्यक्ष महोदय। यह भी स्टडी करके नहीं आते हैं ओर स्टडी नहीं करके आने का कारण शायद यह हो सकता है कि ये आई.ए.एस. अफसर शायद बिजी होते होंगे अपने सब्जेक्ट में। अब यह भी कार्य की व्यस्तता के कारण यह हो सकता है कि ये तैयार होकर नहीं आते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है। इधर भी पोल और उधर भी पोल। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, हां यह बात सही है। हम हमारी बात कहना चाहते हैं, आपको तो तनख्वाह मिलती है, हमको तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन एक बात हम भी कहना चाहते हैं आप भी तैयार होकर नहीं आते हैं और हमारे में से जो आते हैं वह ईश्वर की कृपा से जो आते हैं, जो एम.एल.ए. बनते हैं, वह ईश्वर की कृपा से बनकर आते हैं, आते हैं। इनको इस अकाउंट्स के बारे में ए.बी.सी.डी; का ही पता नहीं है, मैं खुद जानता हूं इस बात को। अध्यक्ष महोदय, हम में से 2-4-5 आदमी इस बारे में जानते हैं। यह भी एक दुर्भाग्य की बात है, मैं तो स्पष्ट कहता हूं। लेकिन आते हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात कहना चाहता हूं, जैसे तीन मुख्य मंत्री हमारे सामने बैठे हैं, उनको भी कम से कम ऐसी कमेटी तो दिया करें जो इनको अपनी योग्यता का खुद पता तो लगे इनको कुछ एक्सरसाइज करने का मौका तो मिले। मेरी मान्यता यह है कि जो

विद्वान हैं ओर जो इस अकाउंट्स को समझता है, इन जो बड़े अधिकारियों की कोई रग दबा सकता है तो पढ़ा हुआ आदमी ही दबा सकता है वरना तो ऐसे ही रह जाते हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदया, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अकाउंट्स कमेटी में और एस्टीमेट कमेटी में, अकाउंट्स के मामले की जो कमेटियां हैं, उनमें विद्वान विधायकों को ही भेजा जाए तो उनकी उपयोगिता होगी। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

उद्घोषकः इससे पूर्व कि मैं प्रमुख वित्त सचिव को आमंत्रित करुं, यहां पधारे हुए अन्य आफिसर्स में कोई विचार प्रकट करना चाहें तो सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री महर्षि साहब को, प्रमुख वित्त सचिव।

प्रमुख वित्त सचिवः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायकगण एवं साथियों, भाषण देने की मेरी आदत नहीं है इसलिये कुछ स्पष्ट रूप से नहीं बोल पाऊं तो माफी चाहूंगा और यह भी अनुमति चाहूंगा कि एक वित्त सचिव की हैसियत से नहीं बल्कि भारत के एक नागरिक की हैसियत से आपके समक्ष 2-4 विचार मैं रखना चाहूंगा।

सर्वप्रथम डेमोक्रेटिक सिस्टम में, डेमोक्रेसी में, विधान सभा, विधायिका तो मंदिर है। अगर जनता का यह रुल है और जनता का राज है, जो डेमोक्रेसी अपन कहते हैं तो जनता की ओर जवाबदेही लेजिस्लेटर्स की है कि उन्हें ही 5 साल पश्चात जाकर के जनता को जवाब देना होता है। और किसी भी विंग की यह जवाबदेही डाइरेक्टली जनता को नहीं है। इसलिये मैं कहता हूं कि भारत के नागरिक की हैसियत से कहता हूं कि यह डेमोक्रेसी का अगर मन्दिर है तो वह विधायिका है। और इसलिये सुशासन की बात हम जब करते हैं तो जो सर्वप्रथम सवाल उठता है मन में वह यह है कि पिछले 50 वर्षों में और पिछले 60 वर्षों में और विशेषकर पिछले 10 वर्षों में जो निर्णय लेने की शक्ति है, क्षमता है वह विधायिका से हट करके अन्य तंत्रों के पास क्यों पहुंची, कैसे पहुंची और क्यों पहुंच रही है। और ऐसे तंत्र जिनकी खुद की कोई जवाबदेही नहीं है, उदाहरणार्थ मेरी डाइरेक्टली जनता को कोई जवाबदेही नहीं है। तो यह प्रश्न जरुरत मैं आपके समक्ष विचारार्थ रखना चाहूंगा कि यह एक मनन की इसमें आवश्यकता है कि जो अलटीमेट रुलर्स हैं, पीपुल हैं और जिनकी एक वाइस है और वह वाइस उनकी एम.एल.ए. के माध्यम से है तो उस आगस्ट बाडी की पावर धीरे-धीरे क्षीण क्यों हो रही है। यह एक बहुत विचारणीय बिंदु है मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि भारत के एक नागरिक होने की हैसियत से बात मैं आपके समक्ष रखता हूं। उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि आडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, हमारे किसी भी प्रशासन का, भले ही वह शासन, प्रशासन राज्य का हो, भले ही

कम्पनीज का हो। अगर आडिट नहीं हो तो किसी कम्पनी का एम.डी. भी नहीं जान पायेगा कि उसकी कम्पनी में कार्य जो है वह सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आडिट जो एक फंक्शनिंग का अभिन्न अंग है, इसकी महत्वपूर्णता को कभी भी मार्जिनलाइज नहीं कर सकते हैं। यह एक ऐसा हम लोगों को इन्पुट देता है जो कि शायद हम इतना अपने डे-टू-डे कार्य में बिजी रहते हैं कि शायद अगर यह फीड बैक अपने डिपार्टमेंट के बारे में या अपनी कम्पनी के बारे में नहीं मिले तो हमें भी ज्ञान नहीं होगा कि हमारे डिपार्टमेंट में या हमारी कम्पनी में क्या कमी रह गयी है। तो जो आडिट है उसको कभी भी किसी भी अधिकारी को या किसी भी मंत्री को लाइटली नहीं लेना चाहिए। It is a very important item and it is of help to us. इसको कभी अपन न्यूसेंस टींट करें या अपनको अपन ऐसे ट्रीट करें कि यह तो क्या सिर पर आफत आ गई और यह तो फिर आ गई तो वह एक गलत परम्परा होगी, गलत नीयत होगी, एक गलत एप्रोच होगी। इसलिये कम से कम मैं स्वयं के लिये भी कह सकता हूं और मेरे कुछ साथियों के लिये कह सकता हूं कि पिछले 30 साल की सेवा में मैंने कभी भी, किसी भी पी.ए.सी. या पी.यू.सी. से हाजिर न होने की माफी नहीं मांगी। जब भी पी.ए.सी. और पी.यू.सी. ने बुलाया, हममें से कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा हाजिर होते हैं और प्रयास यह भी करते हैं कि जितनी तैयारी हम हम कर सकते हैं, 10 साल, 20 साल पुराने कागज होते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं, प्रयास पूरा करते हैं कि जितनी हमारी समझ है, जितनी हम मेहनत कर सकते हैं, उतनी तैयारी से हम आने का प्रयास करते हैं और जितनी आनेस्टली हम दे सकते हैं उतना आनेस्टली जवाब भी देते हैं। तो जो भी अधिकारी या मंत्रीजी यह मानते हैं कि यह आडिट एक इण्टरफ्रेंस है, उन सबसे मेरा निवेदन है, वह यह मानकर चलें कि यह इण्टरफ्रेंस नहीं है। This is a very important input to our work. इसके पश्चात जो तीसरा बिंदू सामने आता है वह यह है कि एक बहुत पुरानी ओवर-यूज्ड अंग्रेजी की कहावत है Paralysis by analysis, उसी प्रकार से paralysis by accountability भी नहीं होना चाहिए। अगर अधिकारी लोग या मंत्री लोग हमेशा इस भय में रहेंगे कि मेरे इस एक्शन से ए.जी. आपत्ति करेंगे या मेरे इस एक्शन से हाई कोर्ट में रिट जाएगी या मेरे इस एक्शन से अखबार में कुछ उल्टा-सीधा आयेगा तो फिर वह काम, डिसिजन मेकिंग है, specially in commercial aspects, क्योंकि आजकल का जो बदलवा आया है, वह पिछले 25-30 वर्षों में यह आया है कि कई सारे निर्णय, कई सारी ऐसी सम्भावनाएं होती हैं, जिसमें निर्णय कामर्शियल बेसिस पर लेने पड़ सके हैं तो अगर यह डर रहेगा, यह भय रहेगा और उसको आडिटर या पी.ए.सी. या असेम्बली उसको उस कामर्शियल परिप्रेक्ष्य में नहीं देख पायेंगे तो जो डिसीजन

मेकिंग ऐबेलिटी है, एक्जीक्यूटिव की, उस पर भी एक बुरा असर पड़ने की सम्भावना रहती है। और इसी से लिंक जो इश्यू है वह सी.ए.जी. की जो आडिट रिपोटर्स हैं, उनकी क्वालिटी की है। सी.ए.जी. की आडिट रिपोर्ट पिछले 30-35 वर्षों में देखें तो काफी उनमें चेंज आया है, बदलावा आया है, इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि समय की जैसे-जैसे धारणा बदली, जैसे-जैसे कार्य बदला, उसका कामर्शियलाइजेशन हुआ, उसी प्रकार सी.ए.जी. की आडिट रिपोटर्स भी बदली चली गयी हैं। ऐसे ही, और मेरे हिसाब से, यह मेरा सुझाव है और मेरी मान्तया है कि इस ओर और कार्य करने की आवश्यकता है। इनको और सुधारने की आवश्यकता है। ताकि, जैसा कि मैंने कहा, उसको मैं पहले ही लिंक करता हूं कि बेसिकली जो एक कामर्शियल डिसीजन हुआ है, या एक डिसीजन आफ जजमेंट हुआ है, एरोअर जजमेंट हुआ है तो उसको आप उसी परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें। ताकि डिसीजन मेंकिंग एबेलिटी जो है, एक्जीक्यूटिव की वह इम्पेयर नहीं हो।

एक सवाल यहां उठा लोकल बाडीज की आडिट का। अब यह निर्णय तो खैर मेरे स्तर का नहीं है, राजनीतिक स्तर का निर्णय है। लेकिन जैसा मैंने कहा, भारत के नागरिक की हैसियत से बात रख्ंता हूं, यह बहुत सोच समझकर करने की बात है। क्योंकि संविधान की जो स्प्रिट है, जिस स्प्रिट में संविधान में 73वें व 74वें में अमेंडमेंट किया है, उसको एक Third tier of Government create करने की इन्टेंशन से किया है। यह बात सच है कि ग्राण्ट्स राजस्थान सरकार से इन पंचायतों को, लोकल बाडीज को जाती हैं।

Vps-usc-09.10.2007-15.45-2d

लेकिन उतना ही सच यह है कि ग्रांट्स अपने को गवर्नमैंट आफ इंडिया से भी मिलती है और गवर्नमैंट आफ इंडिया से भी डिवोल्यूशन आफ टैक्सेस होता है तो क्या हमको यह मंजूर होगा कल को कि भारत की पार्लियामैंट जो है वह स्टेट गवर्नमैंट के अकाउंट्स का आडिट करे? इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में भी इसको सोचें तो इसको बहुत सोच-समझकर राजनीतिक लेवल पर इसका निर्णय आवश्यक है।

अब मैं फाइनैंस सैक्रेटरी की हैसियत से एक-दो छोटी-छोटी बात कहना चाहूंगा। चूंकि, यह बात यहां पर उठी, एक अपना बजटरी आउट-ले और वास्तविक एक्चुअल में जो फर्क आता है वह बहुत ज्यादा क्यों आता है, कैसे आता है और एक्सेस क्यों होता है? नहीं होना चाहिए और हमने प्रयास भी किया अगर पिछले तीन-चार-पाँच साल में आप देखेंगे तो आर.ई. के फिगर्स में और एक्चुअल्स में फर्क बहुत कम रह जाता है आज-कल लेकिन एक व्यवस्था का कारण भी है इसमें। वह व्यवस्था ऐसे है, आप लोग सब जानते हैंकि नॉन प्लान, बी.एफ.सी. जो है वह अक्टूबर-नवम्बर में हो जाती है तो जो आर.ई. का भी फिगर होता है

वह एक्चुअली अक्टूबर-नवम्बर की स्थिति है बल्कि मार्च की नहीं है तो अक्टूबर और मार्च के बीच में अगर कोई अनप्रोडिक्टवल इवेंट हो जाता है तो so that excess or saving can always happen. तो इसलिए बेसिकली प्लान में आप देखेंगे, प्लान के अन्दर वह गेप हमेशा कम रहता है क्योंकि प्लान का आर.ई. जो है हालांकि वह मार्च की नहीं है लेकिन जनवरी की है कम से कम तो उसका एक कारण यह रहता है गेप का कि वह अपन जो मार्च का फिगर बताते हैं वह वास्तव में अक्टूबर का और जनवरी का फिगर होता है I And that is the part of 'vevestha' because इतना फैला हुआ काम है सरकार का कि बी.एफ.सी. होते-होते डेढ़-डेढ़ महीने लगते हैं तो इसलिए क्या कहते हैं वह एक गेप रहने का I am not defending it. It should be narrow but at the same time giving the reasons कि क्यों होता है? इसी प्रकार से माननीय बैद साहब ने भी कहा कि मुख्य मंत्रीजी की घोषणाएं हैं। उनकी सूचना मांगी तो यह कहा कि साहब, इकट्ठी करके देंगे। वह भी एक व्यवस्था की वजह से है, सर। क्योंकि मुख्य मंत्रीजी की घोषणाओं का हैड से कोई अकाउंटिंग नहीं होती। अगर आप पूछेंगे कि खर्चा कितना हुआ तो खर्चे का अकाउंटिंग हैड तो डिपार्टमैंट से ही मिलेगा तो डिपार्टमैंट से, 40 डिपार्टमैंट, 50 डिपार्टमैंट की घोषणा है, उनसे तो इकट्ठी करनी पड़ेगी और इसलिए इसमें समय लगेगा। अगर आप सिर्फ घोषणाओं की सूची मांगते, क्रियान्विति हुई या नहीं हुई तो वह तो एक जगह मिल जाती आपको लेकिन खर्चा क्योंकि बुक होता है, आपने बुक हुए खर्चे की सूचना मांगी that 'kharcha' is only booked on the relevant head as per the accounting system. तो वह तो डिपार्टमैंट से इकट्ठा करना पड़ेगा, सर इसलिए वह क्या कहते हैं, आपको असुविधा हुई पर but I am just telling you why it happened Sir and we will try to get the informations as early as possible Sir. तो वह इसी, दो-चार मैडम, सुझावों के साथ और जैसा मैंने कहा कि मुझसे अगर कुछ, बोलने में सफाई नहीं आयी हो या मैंने कोई ऐसी बात कही हो जो सही नहीं हो, उसके लिए माफी चाहता हूं। अगर आप अनुमति दें मेम, तो वित्त सचिव, तृतीय भी यहां पर हैं, उनको आप मौका दें तो शायद वे भी कुछ कहना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष: हां-हां, बिलकुल, क्यों नहीं, व्हाई नोट? यहां, आपने तो यहां बाकी तो और तो सब बताया लेकिन यह नहीं बताया कि टाइम के ऊपर आप सूचना नहीं देते हो। यह नहीं बताया आपने। उसके लिए हो। करो कुछ। कुछ करना चाहिए।

श्री सुभाष चन्द गर्ग (शासन सचिव, वित्त- III): माननीय अध्यक्षजी, माननीय विधायकगण और साथी अधिकारीगण।

प्रमुख शासन सचिव ने वैसे सभी चीजों का खुलासा कर दिया अपनी तरफ से....

श्री अध्यक्ष: थोड़ा जरा जोर से बोलिये।

शासन सचिव, वित्त-III : मैं सिर्फ एक ही पक्ष पर थोड़ी सी बात कहना चाहता हूं। यह जो आज की सेमिनार जो है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पर है, जवाबदेयता तंत्र पर है और यह निश्चित है, मतलब इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है कि जहां तक गवर्नमैंट की अकाउंटेबिलिटी है वह गवर्नमैंट की अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेचर की तरफ है और लेजिस्लेचर की कमेटी की तरफ है, उसमें कोई संदेह किसी के दिमाग में नहीं है और गवर्नमैंट की तरफ से जब हम लोग कमेटीज में जाकर अपना पक्ष रखते हैं या जब हमारा परीक्षण होता है तो यह सबके सामने स्पष्ट रहता है कि हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी के तहत उस चीज को स्पष्ट करना, उस चीज को बताना है और क्यों कोई चीज हुई है, उस चीज के प्रति, उन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए लेकिन मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है लेकिन मैंने जो कुछ पढ़ा है, देखा है, सुना है उसके आधार पर एक बात यह कहना चाह रहा हूं कि पिछले कुछ समय में जो अहसास होता है वह थोड़ा अहसास इस किस्म का होने लगा है कि जैसे कमेटीज में एक तरह से इंवेस्टिगेशन होने लगा है और कमेटीज में जिम्मेदारी ज्यादा तय करने के दृष्टिकोण के भाव से ज्यादा बात अब होने लगी है जबकि लिटरेचर यह कहता है कि इन कमेटीज में, बेसिकली मैं पी.ए.सी. और एस्टीमैट कमेटी के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि यह तो निश्चित है कि एस्टीमेट बनाये हैं। एस्टीमेट तो भविष्य के लिए बनते हैं तो कभी भी एस्टीमेट बिलकुल प्रिसाइस नहीं हो सकते, बिलकुल शत-प्रतिशत सत्य नहीं हो सकते तो देखने की बात यह है कि एस्टीमेट में जो परिवर्तन आया, जो चेंज आया, जो डिफरेंस आया है वह क्यों हुआ है तो भाव, मूल मुद्दा यह है कि उन कारणों में जाया जाए कि क्यों एस्टीमेट्स में फर्क आये और अगर उन कारणों को हम दूर कर सकें तो और बेहतर एस्टीमेशन बन सकते हैं। इसी तरह अकाउंट्स कमेटी का, पी.ए.सी. का जो मुख्य उद्देश्य यह है कि जो लेजिस्लेचर ने एप्रोपिएशन के माध्यम से, यह पैसा किसी काम के लिए, किसी उद्देश्य के लिए अलोकेट किया, वह उस उद्देश्य के लिए वह पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ और उस पैसे को जो खर्च किया गया, उस चीज को ठीक से अकाउंट-फोर किया गया या नहीं किया गया। लिटरेचर यह कहता है कि मुख्य रूप से यह जो कमेटियां बनी थीं उनका उद्देश्य यह था तो अगर हम इन कमेटीज के माध्यम से इस चीज पर जाएं, डाइग्नोस्टिक पर देखें कि क्यों ऐसे परिवर्तन हुए और क्यों यह खर्चे अगर गलत हुए तो कैसे हुए तब शायद सार्थकता ज्यादा बढ़ जाएगी। हम लोगों को कुछ धीरे-धीरे, भावना कुछ

ऐसी होने लगी है कि वहां जाकर एक तरफ तो आप हो और दूसरी तरफ 14-15 लोग हैं और एक के बाद एक सवाल ऐसे जैसे कि कोई अपराधी से कोई सवाल किया जा रहा है, वह जो भाव है, वह भाव नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: ऐसा नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ़): ऐसा नहीं है। बिलकुल नहीं है।

शासन सचिव, वित्त-III : मतलब सीनियर सिविल सर्वेंट का एग्जामिनेशन के पीछे उद्देश्य यह है कि इस व्यवस्था की डाइग्नोस्टिक, इस डिविएशन का डाइग्नोस्टिक करके कैसे सुधारात्मक कदम निकाले जा सकते हैं अगर हम उस पर ज्यादा ध्यान दें, उस किस्म की रिकमंडेशन करें और फिर उसके बाद उसको आगे, तो शायद जो जवाबदेयता तंत्र को सुदृढ़ करने की बात है वह ज्यादा सार्थक सिद्ध हो पाएगी। बस मुझे इतना ही कहना है। धन्यवाद।

उद्घोषक: अन्य कोई अधिकारी साहिबान्।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्षजी, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व मुख्य मंत्रीगण, माननीय सदस्यगण, माननीय अधिकारीगण।

विशेष तौर से जो आज की सेमिनार रखी माननीय अध्यक्ष महोदय ने, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं कि जवाबदेयता को सुदृढ करने और सुशासन की ओर कदम बढ़ाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, इस पर विचार-विमर्श करने का जो मौका मिला। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस प्रकार के विषय पर चर्चा करना अतिआवश्यक है और जिस प्रकार की सोच आम-आदमी के बीच में बनी और सरकार और जनता और शासन के बीच में रहती है उसमें किस प्रकार से सुधार किये जाए, इस पर विचार करने का आज यह बड़ा मौका है। लोकतंत्र में लोक लोक हो जाए और तंत्र हावी रहे तो मैं समझता हूं कि जवाबदेही का जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं होगा। जवाबदेयता तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए जो शब्द लिखा गया है इसके साथ अगर जवाबदेही तय करने की बात भी और तय कर दी जाती तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा इसकी उपादेयता बढ़ जाती। जवाब कौन देगा? अभी वित्त सचिव महोदय ने, प्रिंसिपल सैक्रेटरी साहब ने जैसा फरमाया कि जनता के प्रति डाइरेक्ट जवाब देने के लिए विधायिका जिम्मेदार है क्योंकि विधायिका का प्रतिनिधि जो है वह सीधा आम-आदमी से जुड़ता है। आम आदमी से मिलता है। आम आदमी से बात करता है। आम आदमी से उसकी बात सुनी जाती है। आम आदमी उसको वह शिकायत कर सकता है और उसकी वह सुन सकता है। जहां तक ब्यूरोक्रेसी और शासन तंत्र का सवाल है। शासन तंत्र एक स्टेप बाई स्टेप एक दूसरे से ऊपर नीचे बैठा हुआ है। उसकी जड़ जो है, नीचे यहां पटवारी से लेकर और प्रिंसिपल सैक्रेटरी तक पहुंचेगे तो उसकी उपादेयता तब सार्थक है कि जब प्रिंसिपल सैक्रेटरी का कण्ट्रोल अपने

पटवारी पर हो। वह वहां पर जवाबदेही उसकी तय करता हो कि वह जनता के प्रति उतना जागरूक है या नहीं। आज एक आदमी एक छोटे से काम के लिए अगर वह सचिवालय के चक्कर लगाएगा तो मैं समझता हूं कि जवाबदेही वाली जो बात है वह सार्थक नहीं है। सचिवालय के चक्कर क्यों लगाये जब उसका काम गांव में हो जाए? जब उसका काम तहसील में हो जाए, जब उसका काम जिले में हो जाए तो फिर सचिवालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है, लेकिन हो उलटा रहा है। आज बजाय नीचे से शासन चलने के ऊपर से शासन चल रहा है। आज सचिवालय से इस बात के लिए डाइरेक्शन दिया जाता है कि फलां काम फलां जगह जाकर कर देना। उस पटवारी को बोल देना। यह काम हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल सैक्रेटरी इस प्रकार का आदेश करके और किसी के प्रति किसी काम को करवाने की बात रख रहा है, इसका मतलब आप यह मानकर चलिए कि नीचे का तंत्र है वह काम नहीं कर रहा है। नीचे का तंत्र काम करे उसके लिए जवाबदेही तय करे सरकार और हम सब लोग मिलकर एक दूसरे के प्रति जुड़ाव के साथ काम करें। अभी जैसे वित्त सचिव महोदय बता रहे थे कि एक अपराधी की तरह कमेटियों के बीच में उनसे सवाल जवाब किये जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अपराधी कोई नहीं होता। सवाल इस बात का होता है कि जिस आदमी को काम करने की जिम्मेदारी दी जाती है वह उसमें कितना सक्षम है। कितना वह कर पाता है। आपने एस्टीमेट, मैं एस्टीमेट कमेटी में हूं। आपने एस्टीमेट बनाया किसी बजट में, 200 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर दे दिया और आपने खर्चा किया उसमें 90 करोड़ रुपये। 110 करोड़ एक्सेस छोड़ दिया और फिर जब पूछा गया इस बात के लिए तो बोलें कि साहब, इसमें तो यह चीज थी इसलिए यह तो 200 करोड़ हो गया था और अब यह 90 करोड़ रह गया। सवाल इस बात का है कि आपके अन्दर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि जिस बात को, काम करने के लिए, जिस बात का एस्टीमेट बनाने के लिए आप तय करने जा रहे हैं उसमें 19-20 का अन्तर तो आ जाए लेकिन जमीन-आसमान का अन्तर हो जाए तो फिर आप यह कहें कि साहब, इसमें अपराधी की तरह प्रश्न पूछा जाता है, यह कुछ नहीं है इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा इस बात के लिए, आज के इस माहौल में कि लोक के प्रति हमको जिम्मेदार होना चाहिए। लोक के प्रति विधायिका को, ब्यूरोक्रेसी को और सबको मिलकर और एकजुटता के साथ लोक के प्रति काम करना चाहिए। आज गरीब आदमी जिस तरह से पीडित है। गरीब आदमी परेशान है। सरकार की कितनी योजनाएं चलती हैं, आम आदमी को पता नहीं होता। हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरीज, जो विभागाध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा इस मौके पर कि विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अपने सबसे निचले स्तर के कर्मचारी के प्रति कितना जागरूक है, कितना उसके काम के ऊपर ट्रांसपरेंसी

रख रहा है, कितना उस पर निगाह रखे हुए हैं, यह उसके काम के ऊपर निर्भर करता है और मैं समझता हूं कि बहुत सारे योग्य अधिकारी इस बात के लिए है। कई जगह काम करने का मौका मिला। मैं यह नहीं कह सकता इस बात के लिए, सरकार किसी की भी रहे, पक्ष रहे, विपक्ष रहे, आदमी किसी का भी रहे लेकिन काम करने के लिए जिस आदमी की भावना सुदृढ़ होगी, वह निश्चित रूप से जनता के प्रति काम कर पाएगा इसलिए जवाबदेही को जो सुदृढ़ करने की भावना, जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने रखी है, इसमें इस बात के लिए है कि काम के प्रति जिम्मेदारी किसकी थी, उसने वह काम किया कि नहीं? अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसको पेनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या पुख्ता व्यवस्था है, इस बात की जरूरत है। जो आदमी, काम की जिसकी जिम्मेदारी थी और उसने नहीं किया तो निश्चित रूप से वह गलत बात हुई है और उसको पूरा करने के लिए उसकी जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए। यह जब तक तय नहीं होगा तब तक हम आपस में एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को दोषी करार देते रहें, एक दूसरे को कुछ कहते रहें, यह बात कोई मायने नहीं रखती है। यह तो एक मुट्ठी है और मुट्ठी बंद करके काम किया जा सकता है, एक ताकत के रूप में। उंगलियां खुलकर एक-एक, एक-एक अलग हो रही है। हम तंत्र को अलग करना चाहे और लोक को अलग करना चाहे, विधायिका को अलग करना चाहे तो मैं समझता हूं कि वह काम नहीं हो पाएगा। यह सारी चीजें एकजुट होकर और लोक के प्रति समर्पित होकर अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आज के इस गम्भीर विषय के ऊपर सार्थकता साबित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय का और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः यह तो सुभाष शर्मा है एम.एल.ए.।

उद्घोषकः माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो मैं नेता, प्रतिपक्ष को आमंत्रित करूं।

श्री अध्यक्षः हां, बोलेंगे।

उद्घोषकः और कोई अधिकारी वर्ग में से कोई बोलना चाहे। कोई विभागाध्यक्ष हो।

श्री अध्यक्षः फिर मैं अब समापन कर देती हूं। आप कहते। आप भी कुछ बोलते।

उद्घोषकः माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

msr/usc/1600/2e/09102007/सेमिनार (1)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदया, हमारे कमेटियों के चेयरमैन साहेबान, पूर्व मुख्य मंत्री पहाड़ियाजी, शिवचरण जी माथुर साहब और पूर्व स्पीकर शांतिलाल जी चपलोत साहब एवं साथियों। आज का सेमिनार का विषय मैंने देखा, मैं अध्यक्ष जी को कह भी रहा था कि बहुत सुन्दर है लेकिन मैं

तो यह समझ रहा था कि यह गवर्नमेंट की सेमिनार है लेकिन जब यहां बोलना शुरू किया तो मैं समझा यह तो आप की ही सेमिनार है और आपके एम.एल.एज. की आपके बीच की है, आपकी ही कमेटियां डिस्कस हो रही हैं।

मैं सब कमेटियों में रहा हूं, जिस तरह की तस्वीर यहां सेमिनार में हमने प्रस्तुत की ऐसी तस्वीर नहीं है कमेटियों में, अधिकारी आते हैं तो वह बहुत सब्मिशिव हैं और पूरी इन्फोर्मेशन जो कमेटी चाहती है वो देते हैं। कोई ऐसी कमेटी नहीं है जिसके अन्दर वो सूचना नहीं देते हों। पूरी सूचना वो देते हैं और कमेटी उस पर विचार करती है और विचार कर के अपनी रिपोर्ट बनाती है और वो विधान सभा के अन्दर पेश होती है। चार ही कमेटियों की विधान सभा में पेश होती है। उसका तात्पर्य यह है कि विधान सभा का समर्थन आपकी कमेटी को, निर्णय को हो गया। वह डिस्कस इसलिए नहीं होती कि वो सब लोगों का प्रतिनिधित्व है, उसमें पूरी विधान सभा का है, उस कमेटी में पूरी विधान सभा का प्रतिनिधित्व है इसलिए वो डिस्कस नहीं होती और डिस्कस हो तो फिर उनका कण्डक्ट भी डिस्कस होता है, मैम्बर्स का भी। जहां डैमोक्रेसी है, जैसी अपने यहां है, वहां कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो बड़ी बॉडी में जा कर वो डिस्कस होते ही, वो रख दी गयी, मान ली गयी, अध्यक्ष जी ने भी मान ली उसको और गवर्नमेंट ने भी मान ली, पूरी विधान सभा ने मान ली। अब वो जिस समय रखे गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट से तामील कराने की बात है, वो तो, अध्यक्ष महोदय, आपका सचिवालय है, वो उसकी कम्प्लाईन्स करवाता है कि कमेटी की क्या-क्या रिकमण्डेशंस हैं। कमेटियों के मार्फत जो काम होता है विधान सभा में उसमें बाई एण्ड लार्ज संतोषजनक हो रहा है, मान्यवर, यह माननीय सदस्य ने मुझे नहीं मालूम क्यों इतनी निराशा प्रकट की, अब जैसा कहा है कि हम आते हैं मस्टरोल टाईप, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग, बहुत लोग ऐसे हैं जो दिलचस्पी लेते हैं। दिलचस्पी अगर नहीं आप लेंगे तो ब्यूरोक्रेसी का हाथ पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी का हाथ पड़ेगा तो लोकशाही कमजोर हुई। जब आप पूरा टाईम लगायें, पूरा देखें, सोचें-समझें, अब जो कासनिया साहब कह रहे थे, यह तो इसमें कोई ज्यादा विद्वता की बात नहीं है। के. कामराज 9 साल चीफ मिनिस्टर रहे थे मद्रास के और अपने पूरे 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ 63 केबिनेट की मीटिंग की थीं, 63 और आज रोजाना मीटिंग करते हैं। आज रोज कि आज केबिनेट की मीटिंग है, आज केबिनेट की मीटिंग है। क्या करते हैं? होता कुछ नहीं है, मामूली सी बात के लिए केबिनेट की मीटिंग, उस पर हाका फूटता है। कामराज जी ने 9 साल में 63 मीटिंग ही की थीं और वो राज करते थे, पढ़ा-लिखा कुछ नहीं था, सिवाय मद्रासी के उनको कुछ नहीं आता था, कॉमन सेन्स थी। कॉमन सेन्स थी, उनके नीचे आई.ए.एस. भी थे, आई.पी.एस. भी थे, सब

तरह के अधिकारी थे लेकिन कॉमन सेन्स थी। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटियां हमारी विधान सभा की हैं, मान्यवर, जहां तक मेरा अनुभव है उसमें तो बहुत अच्छी चली हैं। वह चेयरमैन पर निर्भर करता है, कोई चेयरमैन कोई दिलचस्पी ही नहीं ले तो वो कमेटी तो ऐसे ही चलेगी और चेयरमैन दिलचस्पी लेगा तो वो अच्छी रहेगी।

एक माननीय सदस्य ने आपके लिए ही सुझाव दिया, आपकी तो हैं ही जो सब कमेटियां बनायी हुई हैं इसलिए आप क्या जा कर बैठेंगे, इनके ही तो हम सब प्रतिनिधि हैं तो यह क्या बैठेंगीं, बैठ कर क्या देखेंगीं, क्या सुझाव देंगी? तो आप तो अपनी डैमोक्रेसी को और कमजोर करना चाहते हो।

यह सेमिनार टाईप आज की गोष्ठी है, आप जैसा महसूस करते हो वो बात कहो। महसूस करते हो वो बात कहो लेकिन इतनी निराशा प्रकट मत करो डैमोक्रेसी में। मान्यवर, आप तो बहुत कण्ट्रीज में गयी हैं लेकिन जिस तरह की डैमोक्रेसी आपकी है ऐसी डैमोक्रेसी कहीं भी नहीं है। ईंग्लैण्ड में भी नहीं है, ब्रिटेन में भी नहीं है ऐसी, यह तो बड़ी अद्भुत है आपकी डैमोक्रेसी। कहीं आपने फ्रांस से ले ली, कहीं आपने स्विटजरलैण्ड से ले ली, कहीं आपने ईंग्लैण्ड से ले ली और सब मिला कर के कहीं आपके गांधीजी की फिलॉसफी वो उसमें है तो आपका जो तंत्र है और आपका जो संविधान है, लोकतंत्र है यह बहुत एडवास्ड है। अब यह अलग बात है कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, हमारे देश के अन्दर बहुत भारी गरीबी है, हमारे देश में शिक्षा का बहुत भारी अभाव है। आज भी हमारे मुल्क में लोग भूखे सोते हैं, आज भी हम हालात देखते हैं किस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, किस तरह से लोग भूख से भी मर रहे हैं, किस तरह से लोग तकलीफ उठा रहे हैं, किस तरह से एक्सीडेंट्स के अन्दर मर रहे हैं। दिल्ली की ब्लू लाईन है वो काबू में नहीं आ रही हैं, वहां रोज आदमी मरते हैं। तो यह ऐसी डैमोक्रेसी है, बहुत सुन्दर डैमोक्रेसी है और, मान्यवर, आपके सदारत ने तो आपके सभी कमेटियां अच्छी चल रही हैं। अब मैं तो बैठता भी नहीं हूं कमेटियों में जब से प्रति पक्ष के नेता में मेरा नाम आ गया मैं किसी कमेटी में नहीं, हालांकि आप तो मुझे चेयरमैन बना रही थीं तो मैंने ही आपसे निवेदन किया था कि प्रति पक्ष के नेता को किसी भी कमेटी का चेयरमैन नहीं होना चाहिए, सिद्धांतः यह बात है क्योंकि उसका दर्जा मंत्री का दर्जा है, सब सुविधा उसको मिलती है और एक माननीय सदस्य को और यह सुविधा मिले तो आपने कृपा कर के मुझे एग्जम्प्ट कर दिया, मैं आपका बहुत अहसान मारता हूं लेकिन मैं देखता तो हूं कि हमारे यहां हो क्या रहा है। जैसा सी.पी. जोशी साहब ने कहा था, तब सी.ए.जी. बैठे हुए थे, कि इन को रिपोर्ट को आप डिस्कस कर रहे हैं सात साल पुरानी है, सात साल पुराने आब्जैक्शंस को आज के एजेण्डे में है वो तो कोई तात्पर्य नहीं रहा।

उस वक्त का अधिकारी भी चला गया, मंत्री भी चला गया, गवर्नमेंट भी दबल गयी। इसमें आपको कोशिश करनी चाहिए, मान्यवर, दायित्व करने की कि कितनी पुरानी ऑडिट रिपोर्ट है उनको सरसरी तौर पर सरसरी तरीके से उनको निकाल कर के आप अप टु डेट, अप टु डेट रहनी चाहिए कमेटी की जो डेलिबरेशंस हैं, इनका जो एजेण्डा है वो अप टु डेट रहना चाहिए। इतने साल पुराने एजेण्डा में कोई रिकमण्डेशन का भी कोई मतलब नहीं रहता है। यह भी बात नहीं है, एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कमेटियों की कोई सुनता ही नहीं है, अगर कमेटी चाहे तो आप तो सुनने की बात करते हो वहां बड़े से बड़ा आदमी उसके सामने हम्बल हो जायेगा, बड़े से बड़ा आदमी। लेकिन कमेटी सोच-समझकर चेयरमैन और आप और स्पीकर साहब से बात कर के एजेण्डे पर लो, देखें फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है लेकिन वो तो अब है नहीं न किसी का, उतना डिवोशन हम नहीं करते, डेडिकेशन हमारा नहीं होता तो वो शेर दिखते हैं वरना कमेटी के सामने आ जाएं, पता चल जायेगा कितना बड़ा शेर है। कमेटी के सामने बुलाओ तो सही उसको आप। अब कहते हैं कि, साहब, कमेटी के सामने ऐसे बहस करते हैं जैसे कोई अपराधी हों, ऐसी कमेटियों में तो ऐसा नहीं होता है डिस्कशन, कभी नहीं होता है ऐसा। अपराधी जैसे समझते नहीं, पूरी इज्जत देते हैं हम और उस इज्जत देने के बाद भी कोई ऐसा समझ ले कि अपराधी हैं तो अपराधी तो नहीं हैं लेकिन कुछ गलती तो आपने की ही है। अगर गलती नहीं करते तो कमेटी आपको क्यों बुलाती? इसलिए अब आप डोक में तो हैं, आपकी जगह है एक, आपको शपथ लेनी पड़ेगी कि जो कुछ कहूंगा मैं सच-सच कहूंगा। इसलिए आपको शपथ दिलाते हैं तो कुछ तो है ही तो आप इतनी इसमें ह्यूमिलिएट क्यों होते हैं? लोकतंत्र में आप विश्वास करो, संविधान में विश्वास करो। जब हमने शपथ उठा ली तो जो कुछ कहें वो सच-सच कहो और उसको आप ऐसे मत समझो कि आप अपराधी हैं। आप अपराधी नहीं हैं। जब तक कोई किसी का अपराध साबित नहीं हो जाए तब तक अपराधी अपराधी नहीं है।

तो, मान्यवर, सेमिनार में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बोलने का और कहने का अधिकार है, उसमें उसको टोका-टाकी नहीं होती, जैसे समझता है वैसे बोलना चाहिए इसलिए मैंने भी वह बात कही है जो, जैसे मैं ठीक समझता हूं उस हिसाब से मैं भी बोला हूं, वैसे ही बोलना चाहता हूं और मुझे विधान सभा की कमेटियों के फंक्शंस के बारे में बिलकुल भी, मान्यवर, निराशा नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों तक इसका मैम्बर भी रहा हूं और कई बार इसका मैं चेयरमैन भी रहा हूं। बहुत रेसपैक्ट देते हैं अधिकारी, बहुत उसकी कम्प्लाइन्स करते हैं। अब हम नहीं करवाएं तो उसका क्या इलाज है।

एक मैम्बर का यह कहना था कि मंत्री को ही इसका चेयरमैन बनना चाहिए, यह गलत बात है। मंत्री को तो एग्जामिन हो रहा है, उसके काम को सब कमेटी देख रही हैं, वो चेयरमैन होंगे जब तो हो गया वो तो फैसला। अगर मंत्री ही इसका चेयरमैन होगा तो हो गया फैसला, क्या एग्जामिन करोगे? इसलिए बात तो यह सही है कि चेयरमैन उसका चेयरमैन होना चाहिए। वह चेयरमैन जैसा असर्टेन करे, असर्टेन करे तो उकसा तात्पर्य निकलता है नहीं करें तो उसका क्या इलाज है। डैमोक्रेसी में तो अभी सरकारी प्रतिनिधि, फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, उसके बाद में दूसरे बोल रहे थे कि पटवारी की यहां शिकायत आती है, नीचे से थानेदार की शिकायत आती है इसका मतलब यह है कि आपका नीचे का तंत्र फेल हो रहा है। अगर नीचे का तंत्र फेल नहीं होता तो इस सचिवालय में शिकायत क्यों आयी? इस बात की व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। यह तो प्रशासन का काम है, गवर्नमेंट का काम है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों नहीं उसका डिस्पोजल हो, वहां की शिकायत यहां आती है इसका मतलब वहां पर आपकी गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर रही है।

मान्यवर, आपने समय दिया, बहुत आभारी हूं। आपने सुना, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यु।

श्री अध्यक्षः माननीय नेता प्रतिपक्ष, वित्तीय समितियों के अध्यक्ष, विधायकगण, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण। आज का हमारा विषय तो बहुत महत्वपूर्ण था। जैसा कि मैंने प्रारम्भ में ही कहा कि इसमें तीन ही चीजें आती हैं, लेजिस्लेचर, विधायिका, ऑडिट और एग्जिक्युटिव मतलब सरकार। दो पक्ष तो यहां रहे मौजूद और चर्चा भी की हमने और मैं समझती हूं इस चर्चा का परिणाम मुझे कुछ आता दिखता नहीं है। इसलिए नहीं आता दिखता है कि तीसरा जो जिसके प्रति उत्तरदायित्व है जिसका, जिसकी एकाउंटेबिलिटी है वह तो पक्ष नदारद है, यहां यपर वो तो है ही नहीं तो मैं यह सोच रही थी मन में कि ऑडिट वालों ने अपनी बात फाइनेन्स, प्रिसिंपल सेक्रेटरी के मुंह से कही कि फाइनेन्स जो है उसको उन्होंदे खुद इस बात को माना कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व है लेजिस्लेचर का विधायकों का क्योंकि उनको जनता चुन कर के भेजती है और वही उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं का भी, आशाओं का भी और उनके सारे जो विचार हैं उनका भी।

ars/usc/1615/2f/09102007/सेमिनार

और इसके बाद ऑडिट के जरिए जैसा कि कहा फाइनेन्स सेक्रेटरी ने, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने नहीं, जैसा फाइनेन्स सेक्रेटरी ने कहा कि एक अपराधी की तरह से हमें महसूस होता है वहां पर, सही बात है, होता होगा। इसलिए कि आठ साल पहले की

बात है, गलती किस से हुई है, ऑडिट आब्जैक्शन किस बात का था Who was the responsible for that? था और आज कौन आ गया वहां पर। वो उन बातों का जवाब देने में सक्षम नहीं है और फिर जिस तरीके से प्रश्नों की बौछार लगती है एक के बाद एक, सही बात है महसूस होना स्वाभाविक है कि, भाई, क्या जवाब दूं क्यों वो तो रेस्पोंसेबिल थे ही नहीं। इसलिए यह बात सही है कि होना यह चाहिए कि दो साल से अधिक की हमारी जो ऑडिट है उससे पहले का विचार करना, मतलब नहीं है उसका कोई। इसलिए इस बात के लिए पाबंद किया जावे कि, भाई, दो साल की रिपोर्ट के ऊपर ही जो कुछ परीक्षण होगा वो उसी पर परीक्षण होगा ताकि जो उसके लिए जिम्मेदार है, वो जो गिल्टी है वो उसका जवाब दे, जवाब दे कर के और उसका कुछ निर्णय निकले और फिर जो जवाब देयता के जिस सुशासन की बात हम कर रहे हैं कि जवाब देयता तंत्र, तंत्र क्या है? यह मिनी लेजिस्लेचर है, वित्तीय समितियां जो मिनी लेजिस्लेचर है यही तो जवाब देयता तय करती हैं और उनकी रिकमण्डेशन के आधार पर जब एग्जिक्युटिव और सरकार चले तो सुशासन होगा और सुशासन नहीं होगा तो वो सरकार वापस आयेगी नहीं। इसलिए सवाल इस बात का है कि इन वित्तीय समितियों के जरिए इन वित्तीय समितियों की सिफारिशों को, अब नेता प्रति पक्ष के रहे थे कि फाइनेन्स मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, आस्ट्रेलिया में है। उस वक्त मुझे याद नहीं था, याद आ गया, आस्ट्रेलिया में है ऐसा कि फाइनेन्स मिनिस्टर वहां का जो है वो होता है आपके इस लोक लेखा समिति का, जनलेखा समिति का चेयरमैन होता है। क्योंकि समिति में सारी पार्टियां होती हैं और सारी पार्टियां होती हैं, जिस तरह से पोस्ट मार्टम करती हैं ऑडिट का इस पोस्ट मार्टम के जरिए जो निर्णय निकलता है उस निर्णय को फिर आवश्यकता इस बात की तो है कि एग्जिक्युटिव से उन सब बातों की पालना करवायी जाए, इसलिए है वहां पर व्यवस्था ऐसी। आप नहीं आवश्यक समझते हैं, मैं कब कह रही हूं, बताया भी है कि आस्ट्रेलिया में ऐसा है। कुछ प्रांतों में कंट्रीज के अन्दर, जिनका मैंने नाम लिया था, बहुत सी कंट्रीज हैं कि जहां पर ऑडिट को ही इन लेखाधिकारियों को इस बात का अधिकार है कि जिन लोगों ने गलती की है, जिनके खिलाफ ऑडिट आब्जैक्शन हैं वो उनके खिलाफ कुछ न कुछ एक्शन ले। अपना-अपना अलग-अलग सिस्टम है कंट्रीज का, कर रखा है उन्होंने, जवाब देयता है उनकी क्योंकि ऐसा भी किये बिना काम भी नहीं चलता है तो हम तो आज इसलिए यहां एकत्रित हुए, मुझे अच्छा लगा कि सब लोगों ने अपने-अपने विचार यहां पर प्रकट किये, यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों ने भी अपने विचार प्रकट किये। विधायकों ने भी जो जैसा समझता था अपने-अपने हिसाब से अपने विचार प्रकट किये। मैं समझती हूं कि आखिर इस सारे डिस्कशन का, जो कुछ अब तक विभिन्न तरह के विचार आये हैं शायद इन सब से कोई बात निकल कर के आये और लोकतंत्र के इस जवाब देयता, एकाउंटेबिलिटी जो है उस एकाउंटेबिलिटी को

समझते हुए लेजिस्लेचर के प्रति सरकार कुछ ऐसा कदम उठाये, कुछे ऐसा करे कि इन कमेटीज की रिकमण्डेशन को गम्भीरता के साथ ले कर के और शासन और अच्छा जनता के हित में हो सके और यह जिस प्रकार की बात है, पैसा कितना है, किस मद में खर्च किया गया, खर्च किया गया कि नहीं किया गया, जहां पर प्रावधान नहीं था वहां ज्यादा खर्च कर दिया, जहां करना चाहिए था वहां नहीं किया, भारत सरकार की जो कोई भी स्कीम्स हैं उनके पैसे आते हैं, उनका दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कहां, कैसे दुरुपयोग, कहां दुरुपयोग उसका हो गया, कहां गबन उसका हो गया यह सब चीजें ही तो दुरुस्त करें और शासन अच्छा हो सकेगा। इसलिए अच्छा होता कि यहां पर कोई एग्जिक्युटिव का भी मैम्बर यहां पर होता, इन सब बातों को नोट करता लेकिन मैं समझती हूं कि जो कुछ यहां पर बोला गया है निश्चित तौर से रिपोर्टर्स ने उसको लिखा है और लिख कर के जो कुछ उसका यहां से जायेगा, मैं समझती हूं निश्चित तौर से सरकार इसके बारे में कुछ न कुछ निर्णय ले कर के और अपनी जवाब देयता को और सुदृढ़ कर के और अच्छा शासन, और अच्छा सुशासन कायम कर सकेगी।

आप सब लोगों ने, जो यहां पर पधारे, अपने-अपने विचार जिन लोगों ने यहां प्रकट किये उन सब को मैं अपनी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और उनको बहुत बधाई देती हूं और आप सब लोगों का बहुत-बहुत अभिनन्दन करती हूं।

अब हम सब लोग चाय लीजियेगा। समापन हो गया है।

उद्घोषक: आप सभी चाय पर सादर आमंत्रित हैं और इसी के साथ एक दिवसीय यह कार्यशाला यहीं समाप्त होती है। यह पहला कदम था और आज की चर्चा के बाद निश्चित तौर पर जो सुझाव आये हैं, इस दिशा में आगे प्रयास करेंगे, इसको और अधिक उपादेय बनाया जा सके।

(तदनन्तर 'जवाब देयता तंत्र को और सुदृढ़ करने तथा सुशासन की और एक कदम' विषयक सेमिनार 1625 बजे समाप्त हुई)